रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2118] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933
No. 2118] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

का.आ. 2532(अ).— केन्द्रीय सरकार को पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों तथा समाचार एजेंसी कर्मचारियो के संबंध में वेतन दरें निर्धारित अथवा संशोधित करने के लिए समर्थता प्रदान करने के प्रयोजन से, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955(1955 का 45) की धारा 9 और 13ग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय में 24 मई, 2007 को, अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ.) तथा 810(अ.) दिनांक 24 मई, 2007 द्वारा दो वेतन बोर्ड गठित किए गए थे;

और, इन बोर्डों को अपनी रिपोर्टें भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना - का.आ.सं. 1066(अ.) तथा 1067(अ.) दिनांक 3 जुलाई, 2007 द्वारा तीन वर्ष का समय दिया गया। अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने हेतु वेतन बोर्डों का कार्यकाल, अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 1304(अ.) तथा का.आ.सं. 1305(अ.) दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया गया;

और, उक्त वेतन बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें 31 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दीं;

और, एबीपी प्रा.लि. और अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्यों के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 246/2011 लंबित है जिसमें वेतन बोर्डों के गठन और इसकी सिफारिशों को चुनौती दी गई है;

और, केन्द्रीय सरकार ने विधिक मत लिया है और उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आदेश जारी करने की सलाह दी गई है;

और, केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट के भाग-V के अध्याय-XIX, जो अनुबंध 1(क) के रूप में संलग्न है और रिपोर्ट के उक्त भाग-V के अध्याय XX, जो अनुबंध 1 (ख) के रूप में संलग्न है, में उल्लिखित उक्त वेतन बोर्डों की सिफारिशों को एतदुपरांत किए जा रहे विनिर्दिष्ट कतिपय संशोधनों, जो केन्द्रीय सरकार की राय में सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते, के अध्यायधीन स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव करती है;

अत:, अब श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955(1955 का 45) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 के का.आ. संख्या 1125 (अ.) द्वारा यथा संशोधित दिनांक 05 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना का.आ. 1086 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन यह आदेश करती है, कि-

1. समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (समाचार एजेंसियों से भिन्न अन्य) के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की सिफारिशों से संबंधित भाग V में, अध्याय XIX में-

(क) पैराग्राफ 6 में "समाचार एजेंसी के वर्गीकरण" शीर्षक के लिए "समाचार पत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) पैरा 11 में, व्याख्या में-

(i) खंड (क) में, "सकल राजस्व का 3%" अभिव्यंजना के लिए "सकल राजस्व का 2%" अभिव्यंजना प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, उपखंड ii के लिए निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"ii. समूह V से VIII के अंतर्गत आने वाले समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में, परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप जहां 20% की बढोतरी संस्तुत की गई है, प्रचलित मूल वेतन लगभग 2.58 से 2.84 गुणा बढ़ जाएगा।"

(ग) पैरा 20 में, व्याख्या में, खंड (1) में "25 अगस्त, 2008" शब्दों और अंकों के लिए, "24 अक्तूबर, 2008" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) अनुसूची I.क और I.ख के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

'अनुसूची- I.क
(समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में श्रमजीवी पत्रकारों का समूहन)

समूह-1क: सम्पादक

समूह-1 : कार्यकारी सम्पादक,स्थानीय सम्पादक, एसोसिएट सम्पादक,संयुक्त सम्पादक, उप सम्पादक तथा **मुख्य समाचार समन्वयक अथवा मुख्य समाचार सम्पादक**।

समूह-2 : समाचार ब्यूरो प्रमुख,सहायक सम्पादक,लीडर राईटर,समाचार सम्पादक, **समाचार समन्वयक**,विशेष संवाददाता।

समूह-3 : मुख्य रिपोर्टर **अथवा मुख्य संवाददाता**,मुख्य उप-सम्पादक अथवा कंटेंट प्रमुख,डिप्युटी अथवा सहायक समाचार सम्पादक,**फोटो सम्पादक**,खेल सम्पादक,वाणिज्य सम्पादक, **विज्ञान सम्पादक**, **आर्थिक सम्पादक**, फिल्म सम्पादक, **फीचर सम्पादक,** मैगजीन सम्पादक, कार्टूनिस्ट,सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख,मुख्य समाचार छायाकार,मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,मुख्य सूचकांक सहायक,मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, **पेज डिजाईनर**, राज्य की राजधानी में रह रहा राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त प्रधान संवाददाता,विशेष संवाददाता से इतर केंद्र सरकार से मान्यताप्राप्त संवाददाता,अन्य अनुभागों तथा बैच के प्रमुख जो उच्चतर श्रेणी में न रखे गए हों।

समूह-4 : डिप्युटी मुख्य उप-सम्पादक अथवा वरिष्ठ उप-सम्पादक,डिप्युटी मुख्य रिपोर्टर अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर,वरिष्ठ संवाददाता,डिप्युटी पेज डिजाईनर,वरिष्ठ सुलेखकार,वरिष्ठ अथवा **डिप्युटी प्रमुख कलाकार**, वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ सूचकांक सहायक, **वरिष्ठ अनुसंधान सहायक**, **वरिष्ठ छायाकार**।

समूह-5 : उप-सम्पादक, **रिपोर्टर,** संवाददाता, समाचारछायाकार, कलाकार, सुलेखकार (कातिब सहित), पुस्तकालय सूचकांक सहायक,मुख्य प्रूफशोधक तथा वरिष्ठ योजनाकार/वरिष्ठ स्कैनर ऑपरेटर।

समूह-6 : प्रूफशोधक(विज्ञापन प्रूफशोधक योजनाकार, **स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर** तथा किसी अन्य समूह के तहत उल्लिखित ऐसे समस्त श्रमजीवी पत्रकार जिन्हें स्थापना द्वारा उच्चतर श्रेणी में न रखा गया हो।

टिप्पणी: (1)अनुसूचियों में परिलक्षित से भिन्न रूप में पदनामित कोई भी ऐसे समाचारपत्र कर्मचारी को, जो अनुसूची के किसी समूह के समान अथवा समान प्रकृति का कार्य कर रहा हो,उसी समूह का श्रमजीवी पत्रकार माना जाएगा।

(2) अनुसूची में उल्लिखित समस्त कर्मचारी श्रेणियां प्रत्येक समाचारपत्र प्रतिष्ठान श्रेणी में हो भी सकती हैं और नहीं भी।

अनुसूची- I.ख
(कार्यात्मक परिभाषाएं- श्रमजीवी पत्रकार)

समूह-1कः

1. "सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय विभाग के कार्य का निर्देशन तथा पर्यवेक्षण करता है।

समूह-1

2. "कार्यकारी सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय और प्रोडक्शन कार्यों में सहायता करता है,चाहे वह स्थानीय सम्पादक,सहायक सम्पादक आदि के कार्य का पर्यवेक्षण करता हो अथवा न करता हो।

3. "स्थानीय सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के मूल प्रकाशन स्थान से इतर अथवा समाचारपत्र स्थापना के मुख्यालय से इतर केंद्र से समाचारपत्र के सम्पादक का कार्य निष्पादन करता है।

4. "एसोसिएट सम्पादक" अथवा "संयुक्त सम्पादक" अथवा "उप सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः,सम्पादक को कार्य निष्पादन में सहायता देता है।

5. "मुख्य समाचार समन्वयक" अथवा "मुख्य समाचार सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली समस्त समाचार सामग्रियों को समग्र प्रमुख के रूप में समन्वित करता है तथा समाचार समन्वयकों अथवा समाचार सम्पादकों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

समूह-2:

6. "समाचार ब्यूरो प्रमुख" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार ब्यूरो के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा ब्यूरो सदस्यों को कार्य आवंटित करता है।

7. "सहायक सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समीक्षाओं,विचारों,टिप्पणियों अथवा आलोचनाओं आदि के संदर्भ में सम्पादक को उसके कर्तव्य निर्वहन में नियमित रूप से सहयोग करता है।

8. "लीडर राईटर" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से लीडर्स लिखता है तथा समीक्षा,टिप्पणी अथवा आलोचना आदि की अन्य कॉपी भी लिख सकता है।

9. "समाचार सम्पादक" अथवा "समाचार समन्वयक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार विभाग के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा समाचारपत्र के समस्त संस्करणों की समाचार सामग्री के लिए उत्तरदायी है।

10. "विशेष संवाददाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके दायित्वों में नियमित रूप से संसदीय, राजनीतिक तथा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण एक प्रत्यायित संवाददाता के रूप में शामिल है अथवा केन्द्र सरकार के मुख्यालय पर अथवा किसी विदेशी केन्द्र पर अथवा नियमित रूप से ऐसे ही कार्यों का निष्पादन एक से अधिक राज्य में अथवा उसको सौंपे गए किसी अन्य स्थान पर करता है।

समूह-3

11. "मुख्य रिपोर्टर" अथवा मुख्य संवाददाता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र पर सभी रिपोर्टरों/संसवाददाताओं का प्रभारी है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा नियमित रूप से विधायी, राजनैतिक अथवा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण भी करता है।

11क. "उप अथवा सहायक समाचार संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यत: समाचार संपादक के दायित्व निर्वहन में सहायता करता है और/अथवा सिटी संस्करण निकालने का प्रभारी है।

12. "मुख्य उप संपादक अथवा विषय सूची मुखिया" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समचार डेस्क पर एक शिफ्ट का चार्ज रखता है, एक अथवा एक से अधिक उप संपादकों को कार्य आबंटित तथा पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः न्यूज स्पेस के निर्धारण तथा समाचार अथवा इसके किसी विशेष संस्करण अथवा इसके अंश में समाचारों के सामान्य डिसप्ले हेतु उत्तरदायी होता है।

13. "खेल संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी समाचार पत्र के खेल अनुभाग का प्रभारी होता है, खेलों से संबंधित समाचारों तथा विचारों और संबद्ध क्रियाकलापों को देखता है, एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों तथा उप संपादकों को कार्य आबंटित करता है तथा पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः न्यूज स्पेस के निर्धारण तथा खेल समाचारों के सामान्य डिसप्ले निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है।

14. "फोटो संपादक" से अभिप्राय न्यून एजेंसी फोटो सेवा के संचालन तथा सेवा के समन्वयन प्रभारी से है।

15. "वाणिज्यिक संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार, उद्योग से संबंधित समाचारों एवं विचारों तथा उन पर टिप्पणियों को देखता है तथा एक अथवा उससे अधिक रिपोर्टरों को कार्य आबंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

16. "आर्थिक संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र के सामान्य आर्थिक महत्व के मामलों को प्रकाश में लाने का प्रभारी है तथा एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

17. "विज्ञान संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेष समाचारों को देखता है और समाचार पत्र की विज्ञान सेवाओं के निष्पादन का प्रभारी है।

18. "फिल्म संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फिल्मों तथा मंच से संबंधित समाचारों को देखता है तथा मंच एवं स्क्रीन से संबंधित विशिष्ट कॉलम अथवा पेज का प्रभारी है और एक अथवा एकाधिक कार्यरत पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

19. "फीचर संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फीचर्स को देखता है तथा न्यूज एजेंसी की फीचर सेवा के निष्पादन का प्रभारी है तथा इन क्रियाकलापों में लगे एक अथवा एकाधिक श्रमजीवी पत्रकारों, रिपोर्टर अथवा संवाददाता के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

20. "पत्रिका संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्यिक अथवा मनोरंजन मदों के प्रासंगिक समाचारों एवं विचारों तथा अन्य संबंधित साहित्य के विषयों से जुड़े समाचारों एवं विचारों को देखता है तथा विनिर्दिष्ट कॉलमों अथवा पेजों का प्रभारी है तथा दो अथवा अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

21. "कार्टूनिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कार्टून्स, कैरीकेचर्स अथवा हास्य स्ट्रिप्स के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं पर टिप्पणियां करता है।

22. "सांख्यकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग मुखिया" से अभिप्राय सांख्यकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग प्रभारी से है जो वित्तीय अखवार में वाणिज्य, वित्तीय, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित मामलों को देखता है तथा एक अथवा एकाधिक श्रमजीवी पत्रकारों का पर्यवेक्षण करता है।

23. "मुख्य समाचार फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य आबंटित करता है तथा पर्यवेक्षण करता है।

24. "मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा मुख्य सूचकांक सहायक" अथवा "मुख्य सुलेखक" अथवा "मुख्य आर्टिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो क्रमश: एक अथवा एकाधिक पुस्तकालयाध्यक्षों, सूचकांक सहायकों, सुलेखककों तथा कलाकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

25. "पेज डिजाइनर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विषय विशिष्ट पृष्ठ अथवा समाचार पत्र के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मदों की विषय वस्तु का डिजाइन करता है।

26. "प्रधान संवाददाता" वह संवाददाता है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा संवाददाता विशिष्ट संवाददाता एवं अन्य विभागीय अथवा बैच मुखिया के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है।

समूह-4

27. "उप मुख्य उप-संपादक" अथवा "वरिष्ठ उप-संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-संपादक को उनके कार्य के निर्वहन में सहायता करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है।

28. "उप मुख्य संपादक/रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-संपादक अथवा उप मुख्य उप-संपादक अथवा वरिष्ठ उप-संपादक को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है।

29. "उप मुख्य रिपोर्टर" अथवा "वरिष्ठ रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

30. "उप पृष्ठ डिजाइनर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विषय विशिष्ठ पृष्ठ अथवा अखबार के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मदों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत डिजाइन करता है।

31. "वरिष्ठ संवाददाता" से अभिप्राय विशेष एवं प्रधान संवाददाता के अतिरिक्त उस व्यक्ति से है जिसके कार्य तथा दायित्वों में प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्टिंग शामिल होगी तथा संवाददाता अथवा रिपोर्टर के रूप में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो।

32. "वरिष्ठ फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने फोटोग्राफी व्यवसाय में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो तथा इस क्षेत्र में फोटो संपादक को अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता भी करता है।

33. "वरिष्ठ सुलेखक", "वरिष्ठ अथवा उप मुख्य आर्टिस्ट" अथवा "वरिष्ठ अथवा उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष" ,"वरिष्ठ सूचकांक सहायक" तथा "वरिष्ठ अनुसंधान सहायक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य सुलेखक, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य सूचकांक सहायक तथा मुख्य सांख्यिकी अथवा अनुसंधान प्रभाग, जैसा भी मामला हो, की सहायता करता है तथा कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो।

समूह-5

34. "उप संपादक अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सभी प्रकार की हैड लाइंस समाचार मदों को प्राप्त, चयनित, संक्षेप, सार, विस्तृत वर्णन, अनुवाद और शुद्ध करता है तथा इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कार्य करता है।

35. "रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक विशिष्ठ केन्द्र पर समाचारों को एकत्रित एवं प्रस्तुत करता है।

36. "संवाददाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी केन्द्र से समाचार ई-मेल, वेबसाइट, वायर, डाक अथवा अन्य किसी साधन से प्राप्त करता तथा भेजता है।

37. "समाचार फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफ्स के माध्यम से सार्वजनिक हित की घटनाओं को कवर करता है।

38. "आर्टिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशनार्थ ड्रॉइंग, लेआउट्स, मैप्स, ग्राफ्स अथवा अन्य इसी प्रकार की सजावट, सृजनात्मक आर्ट के किसी प्रकार के उद्धरण तैयार करता है। वह इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कर सकता है।

39. "सुलेखक" से अभिप्राय उस आर्टिस्ट से है जो पत्रकारिता कार्य तथा सुलेख मामलों के कार्य भी करता है।

40. "पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा सूचकांक सहायक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वर्तमान कहानियों को पूरा करने अथवा पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले समाचारों एवं विचारों से संबंधित अभिलेख तैयार करला है तथा उन्हें बनाये रखता है। इन कार्यों में से किसी को न करने वाले व्यक्ति कवर नहीं किए जायेंगे।

41. "मुख्य प्रूफ रीडर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक प्रूफ रीडरों को कार्य आबंटित करता है एवं पर्यवेक्षण करता है और एक शिफ्ट का प्रभारी है।

42. "वरिष्ठ प्लानर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्लानर द्वारा किए गए फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा सैडो एडीटिंग के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

43. "वरिष्ठ स्कैनर ऑपरेटर" इत्यादि से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर द्वारा किए गए फोटोग्राफ्स/रंगीन विज्ञापनों/उद्धरण इत्यादि की स्कैनिंग के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

समूह-6

44. "प्रूफ रीडर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रूफ की मुद्रित सामग्री को संपादक की प्रति के साथ पहली का बाद वाली से सटीक सुमेलन सुनिश्चित करने हेतु चैक करता है। उसके द्वारा तथ्यात्मक अंतरों, व्याकरण तथा वाक्य रचना की वर्तनी संबंधी गलतियों का पता लगाया जाता है तथा या तो वह उन्हें ठीक कर देता है अथवा उन्हें ठीक करवा लेता है।

45. "प्लानर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संपादक द्वारा दी गई समाचार सामग्री को दर्शाने हेतु फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा शैडो एडीटिंग के कार्य में सहायता करता है।

46. "स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफ/रंगीन विज्ञापन / उद्धरण तथा फोटोग्राफ एवं ट्रांसपेरेंसीज के कलर करैक्शन को स्कैन करता है";'

(ङ) शहरों के वर्गीकरण से संबंधित सारणी -V में, क्षेत्र- "Y" शीर्ष के अंतर्गत,

(क) क्रम संख्या 53 और 68 के सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) उसके नीचे की सभी प्रविष्टियों की क्रम संख्याएं पुन: क्रमवार क्रम संख्या 1 से 67 के रूप में दी जाएंगी।

2. श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार एजेंसियों में गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की सिफारिशों से संबंधित अध्याय XX में -

(क) "समाचार पत्र प्रतिष्ठान" शब्द, जहां कहीं भी इस अध्याय में हों, "समाचार एजेंसी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 15, 16 और 17 में उल्लिखित भत्तों से संबंधित सिफारिशों के संबंध में, श्रेणी I और II की समाचार एजेंसियों को समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी I और II के समतुल्य माना जाएगा और श्रेणी III और IV की समाचार एजेंसियों को समाचार पत्र पतिष्ठानों की श्रेणी V और VI के समतुल्य माना जाएगा।

(ग) पैराग्राफ 14 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 14. रात्रि पाली भत्ता - समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई दरों के अनुसार रात्रि पाली भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

समाचार एजेंसी की श्रेणी	**प्रति रात्रि पाली दर**
I और II (समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के श्रेणी-I और II के समकक्ष)	100/-रूपये
III और IV (समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के श्रेणी-V और VI के समकक्ष)	50/-रूपये

(घ) सारणी I में, समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान की श्रेणी के अंतर्गत III और IV से संबंधित कर्मचारियों के समूह के लिए वेतनमान से संबंधित कालम 1 से 5 तक के अंतर्गत

प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अथात्:-

समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारी समूह के लिए वेतनमान						परिवर्ती वेतन (मूल वेतन)
	1क	1	2	3	4	5	
III	कोई वेतनमान नहीं	16000- रु. - एआरआई (2.5%)- 26300	14000- रु. - एआर आई (2.5%) -23000	13000- रु. - एआरआई (2.5%)- 21400	12000- रु. -एआरआई (2.5%)- 19700	11000- रु. - एआरआई (2.5%)- 18100	20%
IV		14000- रु. - एआरआई (2.5%)- 23000	13000- रु. - एआर आई (2.5%) -21400	12000- रु. - एआरआई (2.5%)- 19700	11000- रु. -एआरआई (2.5%)- 18100	10000- रु. - एआरआई (2.5%)- 16400	20%",

(ङ) सारणी II में, समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान की श्रेणी III और IV के संबंध में तद्नुरूपी परिवर्ती वेतन (मूल वेतन का %) के अंतर्गत, संबंधी प्रविष्टि "30%" के लिए, "20%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(च) सारणी IV में, शहरों के वर्गीकरण के संबंध में "Y" क्षेत्र शीर्षक के अंतर्गत,-

(क) क्रम संख्या 53 और 68 के सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
(ख) उसके नीचे की सभी प्रविष्टियों की क्रम संख्याएं पुनः क्रमवार क्रम संख्या 1 से 67 के रूप में दी जाएंगी।

भाग-V: सिफारिशें

अध्याय-XIX

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों (समाचार एजेंसियों को छोड़कर) के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजीठिया वेतन बोर्डो की सिफारिशें

खंड-I
प्राथमिक

लघुशीर्ष तथा प्रारम्भः (1)इन अनुशंसाओं को मजीठिया वेतन बोर्ड का पंचाट कहा जाएगा।

(2) पंचाट को जुलाई,2010 की पहली तारीख से प्रभावी हुआ माना जाएगा।

2. परिभाषा- इस पंचाट में,जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) "अधिनियम" का अर्थ है-श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी(सेवा शर्त) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955(1955 का XLV)।

(2) समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में,वर्ष विशेष के साथ प्रयुक्त "लेखा वर्ष" का अर्थ वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल की पहली तारीख को प्रारंभ से होगा। तथापि,यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वित्त वर्ष से भिन्न हो,तो इसका अर्थ प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से होगा जिसका आधे से अधिक हिस्सा वित्त वर्ष विशेष में पड़ता हो। यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 अक्तूबर से प्रारम्भ होता हो तो लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें पहला छह माह पड़ता हो.

उदाहरण-यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 जनवरी,2009 से प्रारम्भ होता हो,तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 2009 का संदर्भ लेखा वर्ष 2009-10 के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा। पुनः,यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 अक्तूबर से प्रारम्भ होता हो,तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 2009 के संदर्भ को उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 2009-10 के संदर्भ में देखा जाएगा।

(3) "मूल मजदूरी" का अर्थ है-निर्धारित वेतनमान में, बन्धेज वेतन-वृद्धि सहित, यदि हो, लिया गया वेतन किंतु इसमें किसी अन्य प्रकार की मज़दूरी अथवा वेतन शामिल नहीं है,जैसे-विशेष वेतन,व्यक्तिगत वेतन आदि।

(4) "श्रेणी" का अर्थ इस पंचाट में निर्धारित समूहों के तहत उल्लिखित समाचारपत्र कर्मचारियों से है।

(5) समाचारपत्र प्रतिष्ठान (समाचार एजेंसी के अतिरिक्त) के "सकल राजस्व" का अर्थ है-प्रतिष्ठान को उसके समाचारपत्र कारोबार के सभी स्रोतों, समाचारपत्र अथवा समाचारपत्रों के परिचालन तथा विज्ञापन सहित, से प्राप्त राजस्व जिसमें समाचारपत्र कारोबार से अर्जित निधियों से प्राप्त हासिल की गई परिसम्पत्तियां और किए गए निवेश भी शामिल हैं।

व्याख्या- इस खंड के प्रयोजनार्थ

(i) परिचालन और विज्ञापन के संबंध में राजस्व को ऐसी राशि माना जाएगा जो अनुमति प्राप्त कमीशन राशि की सीमा तक उचित अनुमतिप्राप्त कमीशन को घटाने के बाद प्राप्त हो।

(ii) उचित कमीशन वह है जो किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में आयकर प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार गई हो। जिन मामलों में आयकर प्राधिकारियों का ऐसा अंतिम निर्णय उपलब्ध न हो,वहां परिचालन कमीशन संबंधित राजस्वों का 28 प्रतिशत और विज्ञापन कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

(6) "समाचारपत्र कर्मचारी" का अर्थ श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी अथवा दोनों से है।

(8) "अनुसूची" का अर्थ इस पंचाट से अनुबद्ध अनुसूची से है।

(9) "तालिका" का अर्थ इस पंचाट के साथ संलग्न तालिका से है।

(10) "समाचारपत्र प्रतिष्ठान","श्रमजीवी पत्रकार" तथा "गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी" शब्दों के अर्थ इस अधिनियम में उनके लिए निर्धारित अनुसार होंगे।

खंड II

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण तथा समाचारपत्र कर्मचारियों का समूहन

3. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण- श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समचारपत्र कर्मचारियों(समाचार एजेंसियों के अलावा) के संबंध में वेतन के निर्धारण अथवा पुनरीक्षण के प्रयोजन से,समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण एतदुपरांत किया जाएगा, बशर्ते-

(i) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण तीन लेखा वर्षों 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सकल राजस्व औसत पर आधारित हो। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों,शाखाओं तथा केंद्रों को उसका अंग माना जाएगा।

(ii) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों,शाखाओं तथा केंद्रों को उसके सकल राजस्व के आधार पर एक साथ जोड़े जाने के बावजूद,इस अध्याय के पैराग्राफ 6 में श्रेणीकृत सभी वर्गों के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की इकाइयों को,उन्हें साथ जोड़े जाने के परिणामस्वरूप,सकल राजस्व के अनुसार संबद्ध वर्ग में दो वर्गों से ऊपर नहीं बढ़ाया जाएगा।

व्याख्या- इस खंड के प्रयोजनार्थ,

(क) यदि किसी शहर अथवा इसके पास के इलाकों में किसी वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान की विभिन्न इकाइयां/शाखाएं/कंपनियां हों,तो उन्हें समाचारपत्र प्रतिष्ठान की एकल इकाई ही माना जाएगा-चाहे उनके नाम अलग-अलग ही क्यों न हों।

(ख) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान ऊपर उल्लिखित तीन(3) लेखा वर्षों में से दो को पूरा कर लेते हैं,तो इसका वर्गीकरण उन दो वर्षों के सकल राजस्व औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्ष में से केवल एक वर्ष पूरा किया हो,तो इसके वर्गीकरण का निर्धारण उस वर्ष के सकल राजस्व के आधार पर किया जाएगा।

(घ) जिस नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान पर उक्त खंड (क),(ख) और (ग) के उपबंध लागू नहीं होते,उसे प्रथम लेखा वर्ष पूर्ण करने के पश्चात्,उस वर्ष के लिए उसके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

बशर्ते-

उक्त खंड (क),(ख) और (ग) में किसी उल्लेख के होते हुए भी,जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान को दो(2) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो,उसे जिस वर्ग में रखा जाना चाहिए,उससे एक कम वर्ग में रखा जाएगा तथा जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान को एक लेखा वर्ष के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो,उसे जिस वर्ग में रखा जाना चाहिए उससे दो कम वाले वर्ग में रखा जाएगा। दोनों में से किसी भी मामले में,यह वर्ग VIII से कम नहीं होगा।

4. वर्गीकरण की निरन्तरता- इस अध्याय के उपबंधों के अनुरूप निर्धारित वर्गीकरण इस अध्याय के पैराग्राफ 7 के उपबंधों के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किए जाने तक जारी रहेगा।

5. स्वामित्व में परिवर्तन- यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है,तो इस अध्याय के पैरा 3 और 4 के उपबंध उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान पर इस प्रकार लागू होंगे मानो पूर्ववर्ती स्वामी के अंतर्गत संगत लेखा वर्षों के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठान का सकल राजस्व ही नए स्वामी के अंतर्गत उन वर्षों के लिए इसका राजस्व हो।

6. समाचारपत्र एजेंसी का वर्गीकरण- समाचारपत्र प्रतिष्ठान का निम्नांकित वर्गों के अंतर्गत,इस अध्याय के पैराग्राफ 3 के अनुसार उनके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।

वर्ग	सकल राजस्व	वर्ग	सकल राजस्व
I	एक हज़ार करोड़ रूपए और उससे अधिक	V	दस करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु पचास करोड़ रूपए से कम
II	पाँच सौ करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु एक हज़ार करोड़ रूपए से कम	VI	पांच करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु दस करोड़ रूपए से कम
III	एक हज़ार करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु पांच हज़ार करोड़ रूपए से कम	VII	एक करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु पांच करोड़ रूपए से कम
IV	पचास करोड़ रूपए और उससे अधिक किंतु एक सौ करोड़ रूपए से कम	VIII	एक करोड़ रूपए से कम

नोटः भारत में कार्यरत विदेशी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को,जिनका प्रधान कार्यालय भारत के बाहर हो,वर्ग-I का समाचारपत्र प्रतिष्ठान माना जाएगा।

व्याख्या- इस खंड के प्रयोजनार्थ,

(क) किसी भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को वर्ग VIII से नीचे नहीं माना जाएगा।

(ख) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान(वर्ग VIII से इतर) द्वारा परिचालन और विज्ञापन को जोड़ने से प्राप्त सकल राजस्व में विज्ञापन राजस्व उक्त राजस्व के 50 प्रतिशत से कम हो तो उसे

उस वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग में रखा जाना चाहिए जिसमें यह कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता।

(ग) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान(वर्ग VII और VIII से इतर) द्वारा परिचालन और विज्ञापन को जोड़ने से प्राप्त सकल राजस्व में विज्ञापन राजस्व उक्त राजस्व के 40 प्रतिशत से कम हो तो उसे उस वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग में रखा जाना चाहिए जिसमें यह कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता। वर्ग VII के जिस प्रतिष्ठान का विज्ञापन सकल राजस्व के 40 प्रतिशत से कम है,उसे वर्ग VIII में रखा जाएगा।

(घ) यदि किसी ज़िला शहर समाचारपत्र प्रतिष्ठान(वर्ग VIII से इतर) द्वारा भारतीय भाषा में समाचारपत्र का प्रकाशन किया जाता है जिसके प्रकाशनों की संख्या दो से ज़्यादा नहीं है तथा जिसका विज्ञापन राजस्व कुल सकल राजस्व के पचास प्रतिशत से कम है,तो उसे उस वर्ग से एक नीचे के वर्ग में रखा जाना जाएगा जिसमें उसे कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता।

7. वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण की निरन्तरता- (1) इस अध्याय के तहत दिया गया स्पष्टीकरण इस अध्याय के पैराग्राफ 6 के उपबंधों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान को पुनर्वर्गीकृत करने तक जारी रहेगा।

(2) तीन पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के सकल राजस्व औसत के आधार पर पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात,किसी भी समय नियोक्ता अथवा कर्मचारी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के पुनर्वर्गीकरण की मांग के लिए स्वतंत्र होंगे;

बशर्ते ऐसे पुनर्वर्गीकरण की मांग तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक से ज़्यादा बार न की गई हो।

बशर्ते पैराग्राफ 7(2) के अनुसार ऐसे पुनर्वर्गीकरण को,मजीठिया वेतन बोर्ड पंचाटों के कार्यान्वयन से ठीक पहले के वित्त वर्ष से थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित मूल्य वृद्धि में समायोजित करना अपेक्षित हो।

8. समाचारपत्र कर्मचारियों का समूहनः

(1) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के श्रमजीवी पत्रकारों को अनुसूची I.क के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाएगा तथा समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों की कार्यात्मक परिभाषाएं अनुसूची I.ख में दी गई हैं।

(2) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों(प्रशासनिक कर्मचारी) को अनूसूची II में समूहबद्ध किया जाएगा।

(3) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियो (कारखाना कर्मचारी) को अनुसूची III के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाएगा।

9. परिवर्ती वेतनः

परिवर्ती वेतन की अवधारणा निम्नांकित अनुसार दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई हैः

क. छठे वेतन आयोग ने ग्रेड-पे की अवधारणा की अनुशंसा की थी और सरकार ने उस पर कार्यान्वयन की सहमति दी थी। इसी प्रकार,समाचारपत्र प्रतिष्ठानों तथा समाचार एजेंसियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन की अवधारणा को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। परिवर्ती भत्ता समाचारपत्र उद्योग के कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन का विनिर्दिष्ट प्रतिशत होगा। आवास किराया भत्ता,छुट्टी यात्रा भत्ता आदि जैसे समस्त भत्तों की गणना कर्मचारी पर अनुप्रयोज्य संशोधित मूल वेतन तथा परिवर्ती भत्ते के कुल योग के बराबर होगा।

ख. वेतन बोर्डों द्वारा अनुशंसित परिवर्ती वेतन ठेका आधार पर कार्यरत समेत समस्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के बराबर होगा तथा प्रबंधन अनुशंसित परिवर्ती वेतन से अधिक के भुगतान के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते यह श्रमिकों के निष्पादन, समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लाभ तथा व्यवहार्यता के अनुकूल रहा हो।

खंड III
पुनरीक्षित वेतनमान तथा भत्ते

10. श्रमजीवी पत्रकारों का पुनरीक्षित वेतनमान- (1) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों में कार्यरत पत्रकारों के प्रत्येक समूह के लिए 20 वर्षों की अवधि हेतु वेतन बोर्ड द्वारा यथासंस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान तथा परिवर्ती वेतन तालिका-I में निर्धारित है।

(2) प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता तथा अंशकालिक छायाकार यदि ज़िला मुख्यालयों अथवा इससे ऊपर तैनात हो तो उसे मूल वेतन के न्यूनतम 40 प्रतिशत और यदि ज़िला मुख्यालय से नीचे के स्तर पर तैनात हो तो उसे मूल वेतन के न्यूनतम 30 प्रतिशत का तथा उन स्तरों पर पूर्णकालिक संवाददाता/छायाकार के लिए अनुप्रयोज्य महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा,बशर्ते कोई अंशकालिक संवाददाता/छायाकार दो से अधिक समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्य न कर रहा हो। इसके अलावा,उसे कॉलम आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसकी दर का निर्धारण अंशकालिक संवाददाता तथा अंशकालिक छायाकार को मिल रहे मूल वेतन तथा महंगाई भत्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

11. गैर-पत्रकारों के लिए पुनरीक्षित वेतनमानः- (1) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की विभिन्न श्रेणियों में गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों,अर्थात् प्रशासनिक कर्मचारी तथा कारखाना कर्मचारी के प्रत्येक समूह के लिए,20 वर्षों की अवधि हेतु,वेतन बोर्डों द्वारा यथासंस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान तथा परिवर्ती वेतन क्रमशः तालिका-II तथा तालिका-III में निर्धारित हैं।

(2) समय दर आधारित कर्मचारी,अर्थात् ऐसे व्यक्ति को जो निर्धारित से कम अथवा अधिक के लिए समय दर वाले कर्मचारी(समय-कार्य) के रूप में नियोजित है तथा नियमित कर्मचारी का कर्तव्य निर्वाह करता हैं, उन घंटों की संख्या के लिए नियमित कर्मचारी के वेतन के समतुल्य यथानुपात आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसके लिए उसे नियोजित किया गया है।

(i) व्याख्या- उक्त पैराग्राफ 10 और 11 के लिए

(क) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में वेतन वृद्धि के संभावित परिणाम की व्याख्या निम्नानुसार होगीः

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में प्रस्तुत विश्लेषणात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि समाचारपत्र उद्योग में कर्मचारियों की मज़दूरी और वेतन में सामान्यतः,प्रतिष्ठान के सकल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर वृद्धि हुई है और वेतन बोर्डों को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा वेतन तथा सकल राजस्व के बारे में प्रस्तुत सूचनाओं से भी कुछ हद तक इसकी पुष्टि होती है। वेतन बोर्ड का प्रस्ताव क्रमशः वर्ग I से IV तक के समाचारपत्र उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में क्रमशः 35 और 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का है जिसमें

कर्मचारियों का अंतरिम राहत भी शामिल है। लगभग,इसका अर्थ यह होगा कि इस वृद्धि से वर्ग क्रमशः I से IV और वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में वेतन सकल राजस्व का लगभग 13.5 प्रतिशत होगा। अतः,इससे सकल राजस्व पर महज 3.5 प्रतिशत का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह, वर्ग V से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में बोझ सकल राजस्व का महज 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इतना ही नहीं,समाचारपत्र प्रतिष्ठान का यह अतिरिक्त बोझ कालांतर में नगण्य हो जाएगा जैसा कि पहले भी होता रहा है। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों के अनुसार,बोर्ड महसूस करता है कि इस मामूली वृद्धि को वहन करना उनके लिए बिल्कुल संभव है।

ख) समाचारपत्र कर्मचारियों के लाभ के संबंध में

i) वर्ग I से IV के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के मामले में,जहां परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 35 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गई है,समाचारपत्र कर्मचारियों का मौजूदा मूल वेतन लगभग 2.90 से 3.20 गुना बढ़ जाएगा,तथा

ii) वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के मामले में,जहां परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 30 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गई है,वर्तमान मूल वेतन में लगभग 2.80 से 3.08 गुने की वृद्धि होगी।

12. संशोधित वेतनमानों में मजदूरी का आहरण- (1) इस पंचाट में अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर,समाचारपत्र कर्मचारी संशोधित वेतनमान में उस समूह के लिए अनुप्रयोज्य वेतन आहरित करेगा जिससे वह संबंधित है।

13. महंगाई भत्ता- (1) महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का भुगतान श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(2001-=100) के औसत के अनुसार किया जाएगा तथा 01.07.2010 से प्रभावी होगा तथा 01.07.2010 से प्रभावी होगा।

(2) महंगाई भत्ते का भुगतान छमाही आधार पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी से देय होगा तथा पूर्ववर्ती 12 महीनों(जिसके लिए अखिल भारतीय औसत औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 201-100)का उपयोग महंगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु किया जाता है) के आंकड़े प्राप्त होते ही संस्वीकृत किया जाएगा। महंगाई भत्ता 12 माह की उस अवधि के तुरंत बाद के माह के प्रारम्भ से देय होगा जिसके लिए महंगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अखिल भारतीय औसत सूचकांक आंकड़ों का प्रयोग किया गया हो।

(3) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अर्द्धवार्षिक रूप से देय महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु शून्यीकरण की दर समचारपत्र प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी समूहों के मूल वेतन का 100 प्रतिशत होगा तथा इसकी गणना तालिका-IV के फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

(4) महंगाई भत्ते की गणना हेतु शून्यीकरण दर तालिका- IV के द्वारा 100 प्रतिशत होगी।

व्याख्या- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

पंचाट के कार्यान्वयन की तारीख़ से पूर्व की अवधि के लिए महंगाई भत्ता वर्तमान दरों पर दिया जाएगा।

14. आवास किराया भत्ता- समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को "एक्स","वाई" तथा "जेड" इलाक़े के रूप में परिभाषित इलाकों(जो केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण

हेतु पालित पद्धति पर तथा मेट्रो,नगरों तथा शहरों में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की संख्या पर आधारित है) के लिए क्रमशः 30,20 तथा 10 प्रतिशत की दर से आवास किराया भत्ता दिया जाएगा। "एक्स","वाई" तथा "जेड" इलाक़ों का नगरों के रूप में वर्गीकरण तालिका-V में दिया गया है।

बशर्ते-

(1) जहां कर्मचारी को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हो,वहां कोई आवास किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(2) यदि कर्मचारी को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा हो,तो उसे इस प्रावधान के तहत देय आवास किराया भत्ते की राशि को समायोजित किया जाएगा।

(3) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान कर्मचारी को अपना आवास लेने के लिए कर्मचारी की ओर से किसी निधि में कोई राशि देता हो,तो उस राशि को इस प्रावधान के अंतर्गत देय आवास किराया भत्ते में समायोजित किया जाएगा।

15. परिवहन भत्ता- "एक्स","वाई" तथा "जेड" इलाक़ों के रूप में परिभाषित इलाकों के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को क्रमशः 20,10 तथा 5 प्रतिशत परिवहन किराया भत्ता दिया जाएगा। "एक्स","वाई" तथा "जेड" इलाक़ों का निर्धारण तालिका-V में किया गया है।

यह देखते हुए कि वेतन बोर्डो ने परिवहन भत्ते की संस्तुति की है जो समाचार पत्र कर्मचारियों सहित निवासियों द्वारा किया गया बड़ा व्यय होता है,नगर प्रतिपूर्ति भत्ता समाप्त किया जाता है।

16. रात्रि पाली भत्ता- समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा रात्रि पाली के अपने कर्मचारियों को निम्नानुसार भत्ता दिया जाएगाः

समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्ग	प्रति रात्रि पाली दर	समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्ग	प्रति रात्रि पाली दर
I तथा II	100 रू.	V तथा VI	50 रू.
III तथा IV	75 रू.	VII तथा VIII	50 रू.

17. विपत्ति भत्ता- (1) वर्ग I से IV तक के ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को,जो समुद्रतल से 5000 फीट(1524 मीटर) से ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र पर अथवा अशांत क्षेत्र में स्थित हो,1000/- रूपए प्रतिमाह की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

(2) वर्ग V से VI तक के ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को,जो समुद्रतल से 5000 फीट(1524 मीटर) से ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र पर अथवा अशांत क्षेत्र में स्थित हो,500/- रूपए प्रतिमाह की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

(3) वर्ग VI और VIII के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों पर कठिनाई भत्ता अनुप्रयोज्य नहीं होगा।

व्याख्या- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

अशांत क्षेत्र का अर्थ सरकार,जैसे-राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार(जैसा भी मामला हो) द्वारा संगत अधिनियम के अंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्र से है।

18. छुट्टी यात्रा भत्ता(एलटीए)- वर्ग VI और VIII के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर,सभी कर्मचारियों को एक माह के मूल वेतन के बराबर यात्रा छुट्टी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। एलटीए दो वर्ष के ब्लॉक वर्ष में एक बार मिलेगा बशर्ते छुट्टी ली गई हो तथा वास्तविक यात्रा से जुड़े आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए गए हों।

19. चिकित्सा भत्ता- (1) वर्ग I और II तथा वर्ग III और IV के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिमाह प्रति कर्मचारी क्रमशः 1000 रू. तथा 500 रू. की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। समाचारपत्र प्रतिष्ठान के साथ परामर्श कर,कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते प्रीमियम प्रतिवर्ष स्वीकार्य चिकित्सा भत्ते से अधिक न हो।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आ रहे कर्मचारियों को कोई चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(3) वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने समस्त कर्मचारी को चिकित्सा बीमा देंगे तथा बीमा कम्पनी को प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 2000 रू. की दर से प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

20. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण- पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः

क) नए कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

ख) यदि कर्मचारी पहले ही से समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत हो,तो पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन मौजूदा परिलब्धियों से अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

ग) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम,कर्मचारी द्वारा वर्तमान में आहरित परिलब्धियों की राशि से अधिक हो,तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा।

घ) यदि कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हैं तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के अगले चरण में किया जाएगा।

ड.) प्रत्येक कर्मचारी को इस पंचाट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के पद पर प्रत्येक पाँच पूर्ण सेवा वर्ष के लिए,संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

च) जहां तक सुनिश्चित करिअर विकास का प्रश्न है,प्रत्येक कर्मचारी को उसके सेवाकाल में कम से कम कम से कम तीन पदोन्नति दी जाएगी,अर्थात् **पहली** पदोन्नति दस वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में, **दूसरी** पदोन्नति बीस वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में तथा **तीसरी** पदोन्नति तीस वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में।

छ) कर्मचारी द्वारा उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान में वेतनमान(जिसका न्यूनतम कर्मचारी के काम वाले वेतनमान के न्यूनतम के अधिकतम 30 प्रतिशत से कम न हो) वाले किसी अन्य पद पर दी गई सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा।

ज) वेतन वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

झ) किसी भी कर्मचारी को पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं मिलेगा।

ञ) पुनरीक्षित वेतनमान 1 जुलाई 2010 से सभी कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य होंगे। तथापि,यदि कोई कर्मचारी इन अनुशंसाओं के प्रवर्तन के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताहों के भीतर,अपने मौजूदा वेतनमान तथा "वर्तमान परिलब्धियों" को ही बनाए रखने का विकल्प चुनता है,तो वह अपने मौजूदा वेतनमान तथा ऐसी परिलब्धियों को बनाए रखने का पात्र होगा।

व्याख्या-

(1) कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" का अर्थ है- उसका मूल वेतन,जुलाई 2009 से जून 2010 की अवधि के दौरान 167 पर औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अखिल भारतीय औसत पर परिवर्ती महंगाई भत्ता(आधार 2001=100), परिवर्तन कारक 4.63 द्वारा परिवर्तनीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 1982=100),श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए यथाअनुप्रयुक्त दिनांक 25 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या क्रमशः 2524(अ) तथा 2525(अ) द्वारा संस्वीकृत मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर अंतरिम राहत।

(2) कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" का अर्थ है समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा सामूहिक सौदेकारिता,समझौते अथवा पंचाट, मूल वेतन में वृद्धि के रूप में,महंगाई भत्ता अथवा अंतरिम राहत के रूप में,खंड(1) के तहत वर्णित "वर्तमान परिलब्धियों" से इतर परिलब्धियां।

(3) कर्मचारी के 'अतिरिक्त भत्तों' का अर्थ है मासिक भुगतान,चाहे उसे कुछ भी नाम दिया गया हो,जो न तो किसी प्रयोजन विशेष से संबद्ध है और न ही जिसे वेतन पुनरीक्षण अथवा महंगाई भत्ते से जोड़ा गया हो।

21. बकाए के भुगतान का तरीका- भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किए जाने के कारण,इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से देय बकाए(यदि हो) का भुगतान इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से प्रत्येक छह माह बाद तीन समान किश्तों में किया जाएगा तथा पहली किश्त का भुगतान तीन महीने के भीतर होगा।

बशर्ते-

इस पंचाट के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व के तीन लेखा वर्षों में लगातार भारी नकद नुकसान झेल रहे समाचारपत्र प्रतिष्ठान को किसी भी बकाए के भुगतान से छूट दी जाएगी। तथापि,इन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को,इस पंचाट के कार्यान्वयन की तारीख अर्थात् 1 जुलाई,2010 से, अपने कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में नोशनल आधार पर निर्धारित करना होगा।

22. भत्तों के प्रचालन की तारीख- पंचाट में निर्धारित आवास किराया भत्ता,परिवहन भत्ता,कठिनाई भत्ता अथवा किसी भी अन्य प्रकार का भत्ता इस पंचाट की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा,बशर्ते पंचाट में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

अनुसूची-I.क
(समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में श्रमजीवी पत्रकारों का समूहन)

समूह-1क: सम्पादक, प्रधान सम्पादक, मुख्य सम्पादक, उप मुख्य सम्पादक

समूह-1 : कार्यकारी सम्पादक,स्थानीय सम्पादक, प्रबंधक (सम्पादक), वरिष्ठ एसोसिएट सम्पादक अथवा एसोसिएट सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, वरिष्ठ उप सम्पादक अथवा डिप्युटी

सम्पादक, समाचार ब्यूरो प्रमुख और **मुख्य समाचार समन्वयक** अथवा मुख्य समाचार **सम्पादक**।

समूह-2 : **वरिष्ठ सहायक सम्पादक** अथवा सहायक सम्पादक, लीडर राईटर, समाचार सम्पादक, **समाचार समन्वयक**, विशेष संवाददाता।

समूह-3 : मुख्य रिपोर्टर **अथवा मुख्य संवाददाता**,मुख्य उप-सम्पादक अथवा कंटेंट प्रमुख,डिप्युटी अथवा सहायक समाचार सम्पादक,**फोटो सम्पादक**,खेल सम्पादक,वाणिज्य सम्पादक, **विज्ञान सम्पादक, आर्थिक सम्पादक, स्टोक एक्सचेंज सेवा सम्पादक**, फिल्म सम्पादक, फीचर **सम्पादक**, मैगजीन सम्पादक, और **सभी विषय-विशेष से जुड़े अन्य मुख्य** उप सम्पादक **अथवा सम्पादक; मुख्य** कार्टूनिस्ट अथवा कार्टूनिस्ट, **सम्पादकीय प्रौद्योगिकी प्रमुख**, सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, **मुख्य अथवा प्रधान अनुसंधान विश्लेषक**, मुख्य अथवा **प्रधान** समाचार छायाकार; मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष; मुख्य सूचकांक सहायक; मुख्य सुलेखकार; मुख्य कलाकार; **पेज डिजाईनर अथवा मुख्य डिजाईनर**, समाचार ब्यूरो **के उप प्रमुख; विदेश सम्वाददाता, विशेष सम्वाददाता**, राज्य की राजधानी में रह रहा राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त **मुख्य अथवा** प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से इतर केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त संवाददाता और, अन्य अनुभागों तथा बैच के प्रमुख जो उच्चतर श्रेणी में न रखे गए हों।

समूह-4 : डिप्युटी मुख्य उप-सम्पादक अथवा वरिष्ट उप-सम्पादक अथवा पाली प्रभारी उप सम्पादक, **सहायक मुख्य उप सम्पादक/रिपोर्टर**, डिप्युटी मुख्य रिपोर्टर अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता, **उप मुख्य अथवा वरिष्ठ** डिजाईनर, **और सभी विषय-विशेष** से जुड़े अन्य **डिप्युटी सम्पादक अथवा** उप सम्पादक; वरिष्ठ सुलेखकार; वरिष्ठ अथवा डिप्युटी मुख्य **कलाकार अथवा वरिष्ठ** लेआउट कलाकार; वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष **अथवा** उप मुख्य **पुस्तकालयाध्यक्ष**, वरिष्ठ सूचकांक सहायक; वरिष्ठ अनुसंधान **विश्लेषक अथवा** सांख्यिकी **अथवा अनुसंधान प्रभाग उप प्रमुख;** सम्पादकीय **प्रौद्योगिकी उप प्रमुख और** सहायक भाषा **सम्पादक, वरिष्ठ छायाकार अथवा** वरिष्ठ **स्टाक छायाकार अथवा विशेष समाचार** छायाकार **अथवा उप प्रमुख समाचार छायाकार** अथवा **उप प्रमुख छायाकार, मुख्य भाषा** सहायक और **मुख्य योजनाकार/मुख्य स्कैनर प्रचालक**।

समूह-5 : उप-सम्पादक, **रिपोर्टर**, पत्रकार **अथवा** संवाददाता, समाचारछायाकार, कलाकार, कार्टूनिस्ट सहित सुलेखकार, पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा **सहायक पुसतकालयाध्यक्ष** अथवा सूचकांक सहायक, **भाषा सहायक, डिजाइनर, अनुसंधानकर्ता**, मुख्य प्रूफशोधक तथा वरिष्ठ योजनाकार/वरिष्ठ स्कैनर ऑपरेटर।

समूह-6 : विज्ञापन प्रूफशोधक सहित प्रूफशोधक अथवा **वरिष्ठ प्रूफशोधक अथवा उप मुख्य प्रूफशोधक अथवा सहायक प्रूफशोधक;** योजनाकार, **स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर, सहायक छायाकार** तथा किसी अन्य समूह के तहत उल्लिखित ऐसे समस्त श्रमजीवी पत्रकार जिन्हें स्थापना द्वारा उच्चतर श्रेणी में न रखा गया हो।

नोट (1): अनुसूचियों में परिलक्षित से भिन्न रूप में पदनामित कोई भी ऐसे समाचारपत्र कर्मचारी को, जो अनुसूची के किसी समूह के समान अथवा समान प्रकृति का कार्य कर रहा हो,उसी समूह का श्रमजीवी पत्रकार माना जाएगा।

(2): अनुसूची में उल्लिखित समस्त कर्मचारी श्रेणियां प्रत्येक समाचारपत्र प्रतिष्ठान श्रेणी में हो भी सकती हैं और नहीं भी।

अनुसूची-I.ख
(कार्यात्मक परिभाषाएं- श्रमजीवी पत्रकार)

समूह-1क

1. 'प्रधान सम्पादक' अथवा 'मुख्य सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र का सम्पूर्ण प्रभारी है।

2. 'उप मुख्य सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो मुख्य सम्पादक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए कार्य करता है।

3. 'सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय कार्य का निर्देशन और उसकी देख रेख करता है।

समूह-1

4. 'कार्यकारी सम्पादक' अथवा 'प्रबंधक (सम्पादक)' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय और प्रोडक्शन कार्यों में सहायता करता है,चाहे वह स्थानीय सम्पादक,सहायक सम्पादक आदि के कार्य का पर्यवेक्षण करता हो अथवा न करता हो।

5. 'स्थानीय सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के मूल प्रकाशन स्थान से इतर अथवा समाचारपत्र स्थापना के मुख्यालय से इतर केंद्र से समाचारपत्र के सम्पादक का कार्य निष्पादन करता है।

6. 'वरिष्ठ एसोसिएट सम्पादक' अथवा 'एसोसिएट सम्पादक' अथवा 'संयुक्त सम्पादक' अथवा 'वरिष्ठ उप सम्पादक' अथवा 'उप सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः,सम्पादक को कार्य निष्पादन में सहायता देता है।

7. 'समाचार ब्यूरो प्रमुख' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार ब्यूरो के कार्य की देखरेख करता है और ब्यूरो-सदस्यों को कार्य सौंपता है।

8. 'मुख्य समाचार समन्वयक' अथवा 'मुख्य समाचार सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली समस्त समाचार सामग्रियों को समग्र प्रमुख के रूप में समन्वित करता है तथा समाचार समन्वयकों अथवा समाचार सम्पादकों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

समूह-2:

9. 'वरिष्ठ सहायक सम्पादक' अथवा 'सहायक सम्पादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समीक्षाओं,विचारों,टिप्पणियों अथवा आलोचनाओं आदि के संदर्भ में सम्पादक को उसके कर्तव्य निर्वहन में नियमित रूप से सहयोग करता है।

10. 'लीडर राईटर' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से लीडर्स लिखता है तथा समीक्षा,टिप्पणी अथवा आलोचना आदि की अन्य कॉपी भी लिख सकता है।

11. 'समाचार सम्पादक' अथवा 'समाचार समन्वयक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार विभाग के कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है तथा समाचारपत्र के समस्त संस्करणों की समाचार सामग्री के लिए उत्तरदायी है।

12. 'विशेष संवाददाता' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके दायित्वों में नियमित रूप से संसदीय, राजनीतिक तथा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण एक प्रत्यायित संवाददाता के रूप में शामिल है अथवा केन्द्र सरकार के मुख्यालय पर अथवा किसी विदेशी केन्द्र पर अथवा नियमित रूप से ऐसे ही कार्यों का निष्पादन एक से अधिक राज्य में अथवा उसको सौंपे गए किसी अन्य स्थान पर करता है।

समूह-3

13. 'मुख्य रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र पर सभी रिपोर्टरों का प्रभारी है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा नियमित रूप से विधायी, राजनैतिक अथवा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण भी करता है।

'उप अथवा सहायक, समाचार संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समाचार संपादक के दायित्व निर्वहन में सहायता करता है और/अथवा सिटी संस्करण निकालने का प्रभारी है।

14. 'मुख्य उप संपादक अथवा विषय सूची मुखिया' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार डेस्क पर एक शिफ्ट का चार्ज रखता है, एक अथवा एक से अधिक उप संपादकों को कार्य आबंटित तथा पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः न्यूज स्पेस के निर्धारण तथा समाचार अथवा इसके किसी विशेष संस्करण अथवा इसके अंश में समाचारों के सामान्य डिसप्ले हेतु उत्तरदायी होता है।

15. 'खेल संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी समाचार पत्र के खेल अनुभाग का प्रभारी होता है, खेलों से संबंधित समाचारों तथा विचारों और संबद्ध क्रियाकलापों को देखता है, एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों तथा उप संपादकों को कार्य आबंटित करता है तथा पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः न्यूज स्पेस के निर्धारण तथा खेल समाचारों के सामान्य डिसप्ले निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है।

16. 'फोटो संपादक' से अभिप्राय न्यूज एजेंसी फोटो सेवा के संचालन तथा सेवा के समन्वयन प्रभारी से है।

17. 'वाणिज्यिक संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार, उद्योग से संबंधित समाचारों एवं विचारों तथा उन पर टिप्पणियों को देखता है तथा एक अथवा उससे अधिक रिपोर्टरों को कार्य आबंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

18. 'आर्थिक संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र के सामान्य आर्थिक महत्व के मामलों को प्रकाश में लाने का प्रभारी है तथा एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

19. 'स्टोक एक्सचेंज सेवा सम्पादक' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के स्टोक एक्सचेंज सेवा विभाग का प्रभारी होता है, स्टोक एक्सचेंज सेवा और संबद्ध कार्यकलापों के समाचारों और विचारों को डील करता है, एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों और एक अथवा एक से अधिक उप

सम्पादकों को कार्य आवंटित करता है और उसका पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः स्टोक एक्सचेंज सेवा समाचार स्पेस के निर्धारण और सामान्य डिसप्ले हेतु उत्तरदायी होता है।

20. 'विज्ञान संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेष समाचारों को देखता है और समाचार पत्र की विज्ञान सेवाओं के निष्पादन का प्रभारी है।

21. 'फिल्म संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फिल्मों तथा मंच से संबंधित समाचारों को देखता है तथा मंच एवं स्क्रीन से संबंधित विशिष्ट कॉलम अथवा पेज का प्रभारी है और एक अथवा एकाधिक कार्यरत पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

22. 'फीचर संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फीचर्स को देखता है तथा न्यूज एजेंसी की फीचर सेवा के निष्पादन का प्रभारी है तथा इन क्रियाकलापों में लगे एक अथवा एकाधिक श्रमजीवी पत्रकारों, रिपोर्टर अथवा संवाददाता के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

23. 'पत्रिका संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्यिक अथवा मनोरंजन मदों के प्रासंगिक समाचारों एवं विचारों तथा अन्य संबंधित साहित्य के विषयों से जुड़े समाचारों एवं विचारों को देखता है तथा विनिर्दिष्ट कॉलमों अथवा पेजों का प्रभारी है तथा दो अथवा अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

24. 'कार्टूनिस्ट अथवा मुख्य कार्टूनिस्ट' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कार्टूंस, कैरीकेचर्स अथवा हास्य स्ट्रिप्स के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं पर टिप्पणियां करता है।

25. 'सम्पादकीय प्रौद्योगिकी प्रमुख' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो दैनिक समाचारपत्रों अथवा पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में अधुनातन प्रौद्योगिकी लाने के लिए प्रौद्योगिक प्रभाग का प्रभारी होता है तथा उस क्षेत्र में एक अथवा उससे अधिक विशेषज्ञों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

26. 'सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग मुखिया' से अभिप्राय सांख्यकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग प्रभारी से है जो वित्तीय अखबार में वाणिज्य, वित्तीय, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित मामलों को देखता है तथा एक अथवा एकाधिक श्रमजीवी पत्रकारों का पर्यवेक्षण करता है।

27. 'मुख्य अथवा प्रधान अनुसंधान विश्लेषक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अनुसंधान प्रभाग का प्रभारी होता है जो विश्लेषणात्मक अध्ययन की अपेक्षा रखने वाले सभी विषयों में डील करता है तथा उस क्षेत्र से जुड़े एक अथवा उससे अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

28. 'मुख्य समाचार फोटोग्राफर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य आबंटित करता है तथा पर्यवेक्षण करता है।

29. 'मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष' अथवा 'मुख्य सूचकांक सहायक' अथवा 'मुख्य सुलेखक' अथवा 'मुख्य आर्टिस्ट' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो क्रमशः एक अथवा एकाधिक पुस्तकालयाध्यक्षों, सूचकांक सहायकों, सुलेखककों तथा कलाकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

30. 'मुख्य डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा उससे अधिक पेज डिजाइनरों को कार्य आवंटित करता है और उनके काम का पर्यवेक्षण करता है तथा जो समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले किसी शहर अथवा विषय-विशेष संबंधी पृष्ठ अथवा पृष्ठों की न्यूज आइटम के कंटेंट्स डिजाइन करता है।

31. 'पेज डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विषय विशिष्ट पृष्ठ अथवा समाचार पत्र के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मदों की विषय वस्तु का डिजाइन करता है।

32. 'समाचार ब्यूरो उप प्रमुख' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो ब्यूरो अथवा कार्यालय के कार्य पर नियंत्रण रखता है और उसका पर्यवेक्षण करता है तथा समाचार ब्यूरो प्रमुख के समग्र मार्गदर्शन तथा देखरेख में ब्यूरो-सदस्यों को सौंपता है।

33. 'विदेश सम्वाददाता' से अभिप्राय विदेश में तैनात ऐसे व्यक्ति से है जो उस देश अथवा देश के हिस्से से समाचार कवरेज करता है जहां उसे तैनात किया गया होता है।

34. 'विशेष सम्वाददाता' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यायित है और जिसके कर्त्तव्य संसदीय, राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचारों की रिपोर्ट करना है अथवा ऐसे व्यक्ति से है जो किसी महानगरीय केन्द्र में आर्थिक महत्व अथवा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के समाचार कवर करने में विशेषज्ञता रखता हो।

35. 'मुख्य अथवा प्रधान संवाददाता' वह संवाददाता है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा संवाददाता विशिष्ट सवाददाता एवं अन्य विभागीय अथवा बैच मुखिया के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है।

समूह-4

36. 'डिप्यूटी मुख्य उप-संपादक' अथवा 'वरिष्ठ उप-संपादक' अथवा 'शिफ्ट प्रभारी उप सम्पादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-सम्पादक को उनके कार्य के निर्वहन में सहायता करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है।

37. 'सहायक उप मुख्य संपादक/रिपोर्टर अथवा डिप्यूटी मुख्य उप-सम्पादक/रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य उप संपादक अथवा डिप्यूटी मुख्य उप संपादक अथवा वरिष्ठ उप संपादक को नियमित रूप से उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है।

38. 'उप मुख्य रिपोर्टर' अथवा 'वरिष्ठ रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

39. 'उप मुख्य अथवा वरिष्ठ डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विषय विशिष्ठ पृष्ठ अथवा अखबार के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मदों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत डिजाइन करता है।

40. 'वरिष्ठ संवाददाता' से अभिप्राय विशेष एवं प्रधान संवाददाता से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसके कार्य तथा दायित्वों में प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्टिंग शामिल होगी तथा संवाददाता अथवा रिपोर्टर के रूप में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो।

41. 'सहायक फोटो सम्पादक', 'वरिष्ठ फोटोग्राफर अथवा वरिष्ठ स्टाफ फोटोग्राफर', 'विशेष समाचार फोटोग्राफर अथवा उप मुख्य समाचार फोटोग्राफर', 'उप मुख्य फोटोग्राफर' अथवा ये कर्मचारी किसी भी नाम से पदनामित हों, से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने फोटोग्राफी व्यवसाय में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो तथा जो इस क्षेत्र में फोटो संपादक को अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता भी करता है।

42. "मुख्य भाषा सहायक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो समाचारपत्र जिस भाषा में प्रकाशित किया जाता है उस भाषा में विभिन्न भाषाओं से अर्थ निकालने और अनुवाद करने में सहायता करता है और साथ ही भाषा सहायकों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

43. "मुख्य योजनाकार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो फोटो संपादन, रंग संपादन और छाया सम्पादन के कार्य की देखरेख करता है, इस तरह वरिष्ठ योजनाकार अथवा योजनाकार द्वारा लिए गए समाचार विषयों को मुखरित करता है।

44. "मुख्य स्कैनर ऑपरेटर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वरिष्ठ स्कैनर ऑपरेटर अथवा स्कैनर ऑपरेटर द्वारा तैयार फोटोग्राफ/रंगीन विज्ञापन/उद्धरण तथा फोटोग्राफ एवं ट्रांसपेरेंसीज के कलर करैक्शन को स्कैन करता है।

45. 'वरिष्ठ सुलेखक', 'वरिष्ठ अथवा उप मुख्य आर्टिस्ट' अथवा 'वरिष्ठ अथवा उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष','वरिष्ठ सूचकांक सहायक' तथा 'वरिष्ठ अनुसंधान सहायक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य सुलेखक, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य सूचकांक सहायक तथा मुख्य सांख्यिकी अथवा अनुसंधान प्रभाग, जैसा भी मामला हो, की सहायता करता है तथा कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो।

समूह-5

46. 'उप संपादक अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सभी प्रकार की हैड लाइंस समाचार मदों को प्राप्त, चयनित, संक्षेप, सार, विस्तृत वर्णन, अनुवाद और शुद्ध करता है तथा इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कार्य करता है।

47. 'रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक विशिष्ठ केन्द्र पर समाचारों को एकत्रित एवं प्रस्तुत करता है।

48. "पत्रकार अथवा संवाददाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी केन्द्र से समाचार ई-मेल, वेबसाइट, वायर, डाक अथवा अन्य किसी साधन से प्राप्त करता तथा भेजता है।

49. "समाचार फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफ्स के माध्यम से सार्वजनिक हित की घटनाओं को कवर करता है।

50. "आर्टिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशनार्थ ड्रॉइंग, लेआउट्स, मैप्स, ग्राफ्स अथवा अन्य इसी प्रकार की सजावट, सृजनात्मक आर्ट के किसी प्रकार के उद्धरण तैयार करता है। वह इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कर सकता है।

51. "सुलेखक" से अभिप्राय उस आर्टिस्ट से है जो पत्रकारिता कार्य तथा सुलेख मामलों के कार्य भी करता है।

52. 'पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा सहायक पुस्ताकलयाध्यक्ष अथवा सूचकांक सहायक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वर्तमान कहानियों को पूरा करने अथवा पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले समाचारों एवं विचारों से संबंधित अभिलेख तैयार करता है तथा उन्हें बनाये रखता है। इन कार्यों में से किसी को न करने वाले व्यक्ति कवर नहीं किए जायेंगे।

53. 'भाषा सहायक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो जिस भाषा में समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है उस भाषा में मुख्य भाषा सहायक के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न भाषाओं से अनुवाद में सेवाएं प्रदान करता है।

54. 'डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विषय-विशिष्ट अथवा अखबार के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मदों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर अथवा डिप्यूटी प्रमुख अथवा वरिष्ठ डिजाइनर के समग्र पर्यवेक्षण में डिजाइन करता है।

55. 'अनुसंधानकर्ता' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सांख्यिकी अथवा अनुसंधान प्रभाग प्रमुख और सम्पादकीय प्रौद्योगिकी प्रमुख को इन प्रभागों के मुखिया अथवा उप मुखिया अथवा वरिष्ठ के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुसंधान विश्लेषण करने में सहायता करता है।

56. 'मुख्य प्रूफ रीडर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक प्रूफ रीडरों को कार्य आबंटित करता है एवं पर्यवेक्षण करता है और एक शिफ्ट का प्रभारी है।

समूह-6

57. 'वरिष्ठ प्रूफ रीडर अथवा उप मुख्य प्रूफ रीडर अथवा प्रूफ रीडर अथवा सहायक प्रूफ रीडर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रूफ की मुद्रित सामग्री को संपादक की प्रति के साथ पहली का बाद वाली से सटीक सुमेलन सुनिश्चित करने हेतु चैक करता है। उसके द्वारा तथ्यात्मक अंतरों, व्याकरण तथा वाक्य रचना की वर्तनी संबंधी गलतियों का पता लगाया जाता है तथा या तो वह उन्हें ठीक कर देता है अथवा उन्हें ठीक करवा लेता है।

58. 'प्लानर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा सैडो एडीटिंग के कार्य में सहायता करता है, इस तरह संपादक द्वारा दिए गए समाचार विषय वस्तु को मुखरित करता है।

59. 'स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफ्स/रंगीन विज्ञापनों/उद्धरण तथा फोटोग्राफ एवं ट्रांस्पेरेंसीज के कलर करेक्शन को स्कैन करता है।

अनुसूची-II

(गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी-प्रशासनिक स्टाफ का वर्गीकरण)

समूह 1क:

उपाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा, विज्ञापन अथवा वितरण), वरिष्ठ महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अथवा उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक अथवा उप क्षेत्रीय महाप्रबंधक, महाप्रबंधक अथवा मुख्य प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक (इलैक्ट्रीकल अथवा इलैक्ट्रोनिक्स), मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य फीजियोथैरपिस्ट तथा सचिव

समूह-1:

वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक अथवा सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय महाप्रबंधक अथवा सहायक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, उप क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा अथवा विभागीय प्रबंधक (वे जो वितरण, विज्ञापन विभाग, कार्मिक इत्यादि के प्रभारी हैं), प्रबंधक, वेब प्रशासक, इलैक्ट्रोनिक अथवा सॉफ्टवेयर अभियंता, मुख्य लेखाकार, मुख्य इंटरनल ऑडीटर, मुख्य लोक संपर्क अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी तथा मुखिया (उपचार अथवा परामर्श)।

समूह-2:

अपर प्रबंधक, उप प्रबंधक, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक अथवा सहायक प्रबंधक, मुख्य अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकारी, लाइजन अधिकारी, लोक संपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, इंटरनल ऑडीटर, सहायक विज्ञापन प्रबंधक, सहायक वितरण प्रबंधक, मार्केटिंग ऑफीसर, कल्याण अधिकारी तथा कार्मिक अधिकारी, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल अथवा इलैक्ट्रीकल) तथा वरिष्ठ प्रोग्रामर, वरिष्ठ फैसीलीटेटर अथवा फैसीलीटेटर (स्वास्थ्य परामर्श)।

समूह-3:

अधिकारी अथवा विभागीय मुखिया (लगभग 5 वरिष्ठ सहायकों अथवा सहायकों अथवा क्लर्कों के कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले), मुख्य कैशियर, बिजनैस कनवैशर्स, मार्केटिंग अथवा सेल्स प्रतिनिधि अथवा विज्ञापन प्रतिनिधि, हैड क्लर्क, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, डीटीपी इंचार्ज, ईडीपी इंचार्ज, वैयक्तिक सहायक (स्टैनो सचिव), वरिष्ठ लेखा सहायक अथवा सहायक लेखाकार, वरिष्ठ क्लिनिकल सहायक अथवा फार्मासिस्ट तथा प्लानर

टिप्पणी: इस भाग की सिफारिशें उपर्युक्त चार समूह में शामिल यथा अधिनियम परिभाषित गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी।

समूह-4:

वरिष्ठ स्टेनो सचिव, वरिष्ठ स्टेनोग्राफर अथवा स्टेनोग्राफर, वरिष्ठ सहायक अथवा सहायक, वरिष्ठ सहायक (स्टोर), अनुसूचन सहायक, सभी कार्यकारी, वरिष्ठ केयरटेकर सहायक, कैशियर, लेखा क्लर्क, परिचालन निरीक्षक/प्रतिनिधि, वरिष्ठ विज्ञापन अनुवादक अथवा विज्ञापन अनुवादक, वरिष्ठ क्लर्क (अर्थात् वे जिनके कार्य में विशिष्ट दक्षताएं शामिल हैं), वरिष्ठ कलैक्शन प्रतिनिधि, ईडीपी ऑपरेटर, इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसर, लेखा मशीन/गणना मशीन तथा टेलीप्रिंटर्स ऑपरेटर, सुरक्षा पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक, निगरानी निरीक्षक, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ दफेदार अथवा दफेदार, वरिष्ठ मुख्य हवलदार अथवा मुख्य

हवलदार, क्लीनर, फील्ड ऑर्गेनाइजर तथा परिचालन ब्यूरो ऑडिट करने वाले, विज्ञापन प्रूफरीडर, सहायक फीजियोथेरपिस्ट अथवा क्लिनिकल सहायक अथवा नर्स (पुरूष/महिला), आर्टिस्ट (वाणिज्य एवं प्रक्रिया), वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन, स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर।

समूह-5:

कनिष्ठ क्लर्क अथवा कनिष्ठ कार्यपालक (विज्ञापन स्वीकार करने तथा प्रकाशनों की बिक्री अथवा अन्य प्रकार के रूटीन कार्य सहित सामान्य क्लेरिकल कार्य करने वाले व्यक्ति), केयरटेकर, टाइमकीपर्स, वरिष्ठ टाइपिस्ट अथवा टाइपिस्ट, टेलीफोन/फैक्स मशीन ऑपरेटर, एड्रेसोग्राफर, रिसेप्सनिष्ट, फ्रेंकिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ मैसेंजर अथवा मैसेंजर, कनिष्ट आर्टिस्ट (वाणिज्यिक एवं प्रक्रिया), सहायक अनुवादक, कैंटीन पर्यवेक्षक अथवा वरिष्ट सर्वर अथवा हैड कुक अथवा कुक, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक अथवा सुरक्षा निरीक्षक अथवा फायरमैन सह सुरक्षा मैन तथा हवलदार क्लीनर, ड्राइवर, कारपेंटर, प्लम्बर तथा राजमिस्त्री।

समूह-6:

बिल कलैक्टर्स, जीरोक्स ऑपरेटर, दफतरी अथवा अर्ध लिपिकीय कार्य करने वाले व्यक्ति, डिलीवरी पिओन अथवा पिओन सह मैसेंजर अथवा पिओन, सिक्योरिटी गार्ड अथवा वाचमैन, लिफ्टमैन, ऑफिस ब्याय अथवा काल ब्याय अथवा ऐड ब्याय अथवा हैल्पर, स्वीपर अथवा क्लीनर अथवा व्हीकल क्लीनर, बीयरर अथवा कैंटीन ब्याय अथवा सर्वर अथवा वाटर ब्याय, माली, अर्दली अथवा दरबान।

टिप्पणियां

(i) पद की जॉब प्रोफाइल के अनुसार द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्रबंधन के साथ पारस्परिक परामर्श से मनिसाना वेतन बोर्ड अवार्ड अथवा पूर्ववर्ती अवार्डों में वर्णित अनुसार पुराने पदनामों के साथ समाचार पत्र कर्मचारी मनिसाना वेतन बोर्ड अवार्ड के संबंध में पदों के समुचित वर्गों में वर्गीकृत किए जाने चाहिए।

(ii) उपर्युक्त अनुसूची में नामांकित से अलग पदनाम वाला कोई समाचार पत्र कर्मचारी उसी अथवा उसी प्रकृति का कार्य कर रहा हो, उसे उस समूह गैर-पत्रकार कर्मचारी माना जायेगा।

(iii) अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों की सभी श्रेणियां समाचार पत्र प्रतिष्ठान की प्रत्येक श्रेणी में हो सकती हैं अथवा नहीं हो सकती हैं।

(iv) नियोजन की अवर्णित श्रेणी का वर्गीकरण, यदि कोई हो, कर्मचारियों तथा प्रबंधन द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से पारस्परिक रूप में निर्णित किया जाना चाहिए।

अनुसूची-III

(गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों-फैक्ट्री स्टाफ का वर्गीकरण)

समूह-1-क :

उत्पादन प्रक्रिया के सम्पूर्ण प्रबंधन में शामिल उपाध्यक्ष (उत्पादन), सहायक उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक इत्यादि।

समूह-1:

उत्पादन विभाग में स्थापित मशीनों के अभियांत्रिक पहलुओं की देखभाल के लिए नियुक्त वरिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा ए एवं बी ग्रेड पर्यवेक्षक इत्यादि।

समूह-2:

वरिष्ठ पर्यवेक्षक अथवा पर्यवेक्षक, फोरमैन, कलर सैपरेशन स्कैनर, फोटो टाइप सैटिंग ऑपरेटर, स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर, सीनियर कैमरामैन, पर्यवेक्षक (फोटो कम्पोजिंग), वरिष्ठ वीडीटी ऑपरेटर/वीडीटी ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर (वीडियो डिजीटल टाइप सैटिंग)।

समूह-3:

वरिष्ठ उत्पादन सहायक अथवा उत्पादन सहायक, उप अथवा सहायक फोरमैन, मुख्य प्रेस विज्ञापन सहायक, कनिष्ठ वीडीटी संचालक, कातिब्स, मोटर मिस्त्री, ऑफसेट मशीनमैन, ऑफसेट मैकेनिक, ऑफसेट प्लेट मेकर, पेज मेकअप मैन (फोटो सैटिंग), पेस्ट-अप आर्टिस्ट, प्लेट मेकर (कलर), प्रेस विज्ञापन सहायक, प्रिंटर (फोरमैन कम्पोजिंग पर्यवेक्षक), प्रोसेस डेवलपर, प्रिंटर (ऑफसेट, फोटो कम्पोजिंग ए एवं बी ग्रेड, कम्पोजिंग), पीटीएस मैकेनिक, रेप्रो-फोटोग्राफर, रोटरी मैकेनिक, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ प्रिंटर, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (कम्पोजिंग साप्ताहिक कार्य एवं अन्य अनुभाग)।

समूह-4:

कन्वेयर स्ट्रीकेट मशीन-मैन, करेक्टर अथवा टर्मिनल ऑपरेटर, ऑफसेट प्लेटमेकर, रीलस्टार मशीन मैन (सामान्य), सीनियर मशीन मैन, सहायक मुकदम, सहायक प्रिंटिंग मशीन मैन(सभी श्रेणी), चार्ज हैंड (पलटिया), कापी होल्डर, कटर, ड्राइवर, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, जूनियर मशीन मैन, मशीन मैन (रोटरी मशीन मैन को छोड़कर), मशीन मैन(प्रिंटिंग के अतिरिक्त), मिस्त्री, समाचार दफ्तरी, आर्ट विभाग में पेस्ट-अप मैन, प्लम्बर।

समूह-5:

सहायक इलैक्ट्रीशियन, सहायक मशीन मैन, सहायक फिटर, सहायक टर्नर(सभी पांच वर्ष की सेवा वाले), वितरक, ट्रीडलमैन तथा डीएफ. प्रेसमैन।

समूह-6:

बालर मुकदम, बारमैन, बाइंडर, केस रूम क्लीनर, कलर-वर्क परीक्षक, काउंटर, दफ्तरी, फीडर, हैड पीएन अथवा पीएन अथवा प्रेस ऐड अथवा सहायक, पैकर, स्टीचर, बाइंडिंग ब्याय, मजदूर, रील लोडर तथा अनलोडर, ट्रोली मैन, प्रेस ऐड अथवा सहायक तथा सभी अन्य अर्ध कुशल अथवा अकुशल अटेंडेंट्स, क्लीनर्स तथा हैल्पर्स चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

टिप्पणियां

i) पद की जॉब प्रोफाइल के अनुसार द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्रबंधन के साथ पारस्परिक परामर्श से मनिसाना वेतन बोर्ड अवार्ड अथवा पूर्ववर्ती अवार्डों में वर्णित अनुसार पुराने पदनामों के साथ समाचार पत्र कर्मचारी मनिसाना वेतन बोर्ड अवार्ड के संबंध में पदों के समुचित वर्ग में वर्गीकृत किए जाने चाहिए।

ii) उपर्युक्त अनुसूची में नामांकित से अलग पदनाम वाला कोई समाचार पत्र कर्मचारी उसी अथवा उसी प्रकृति का कार्य कर रहा हो, उसे उस समूह गैर-पत्रकार कर्मचारी माना जायेगा।

iii) अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों की सभी श्रेणियां समाचार पत्र प्रतिष्ठान की प्रत्येक श्रेणी में हो सकती हैं अथवा नहीं हो सकती हैं।

iv) नियोजन की अवर्णित श्रेणी का वर्गीकरण, यदि कोई हो, कर्मचारियों तथा प्रबंधन द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से पारस्परिक रूप में निर्णित किया जाना चाहिए।

सारणी- I
समाचार पत्र प्रतिष्ठान

क. श्रमजीवी पत्रकार

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<--- कर्मचारी समूह के लिए वेतनमान --->							परवर्ती वेतन (मूल वेतन का %)
	1क	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	<----- कोई स्केल नहीं ----->	रु.25000-एआरआई (4%)-54800	रु.22000-एआरआई (4%)-48300	रु.19000-एआरआई (4%)-41700	रु.17000-एआरआई (4%)-37300	रु.15000-एआरआई (4%)-32900	रु.13000-एआरआई (4%)-28500	35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)		रु.22000-एआरआई (4%)-48300	रु.20000-एआरआई (4%)-43900	रु.18000-एआरआई (4%)-39500	रु.16000-एआरआई (4%)-35100	रु.14000-एआरआई (4%)-30700	रु.13000-एआरआई (4%)-28500	35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)		रु.20000-एआरआई (3%)-36200	रु.18000-एआरआई (3%)-32600	रु.16000-एआरआई (3%)-28900	रु.14000-एआरआई (3%)-25300	रु.13000-एआरआई (3%)-23500	रु.12000-एआरआई (3%)-21700	35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)		रु.18000-एआरआई (3%)-32600	रु.16000-एआरआई (3%)-28900	रु.14000-एआरआई (3%)-25300	रु.13000-एआरआई (3%)-23500	रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.11000-एआरआई (3%)-19900	35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)		रु.16000-एआरआई (2.5%)-26300	रु.14000-एआरआई (2.5%)-23000	रु.13000-एआरआई (2.5%)-21400	रु.12000-एआरआई (2.5%)-19700	रु.11000-एआरआई (2.5%)-18100	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)		रु.14000-एआरआई (2.5%)-23000	रु.13000-एआरआई (2.5%)-21400	रु.12000-एआरआई (2.5%)-19700	रु.11000-एआरआई (2.5%)-18100	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	20%

VII (1 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपये से कम)		रु.12000-एआरआई (2%)-17900	रु.11000-एआरआई (2%)-16400	रु.10000-एआरआई (2%)-15900	रु.9000-एआरआई (2%)-13400	रु.8000-एआरआई (2%)-11900	**20%**
VIII (1 करोड़ रुपये से कम)		रु.9000-एआरआई (2%)-13400		रु.8000-एआरआई (2%)-11900		रु.7000-एआरआई (2%)-10500	**20%**

टिप्पणी: 'एआरआई' वेतनवृद्धि की वार्षिक दर के लिए आया है।

सारणी- II

समाचार पत्र प्रतिष्ठान

ख. गैर पत्रकार (प्रशासनिक स्टाफ)

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<--- कर्मचारी समूह के लिए वेतनमान --->							परवर्ती वेतन (मूल वेतन का %)
	1A	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	<---- कोई स्केल नहीं ---->	रु.17500-एआरआई (4%)-38400	रु.15000-एआरआई (4%)-32900	रु.13000-एआरआई (4%)-28500	रु.12000-एआरआई (4%)-26300	रु.10000-एआरआई (4%)-22000	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)		रु.16000-एआरआई (4%)-35100	रु.14000-एआरआई (4%)-30700	रु.12000-एआरआई (4%)-26300	रु.11000-एआरआई (4%)-24100	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	रु.8500-एआरआई (4%)-18700	35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)		रु.14000-एआरआई (3%)-25300	रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.11000-एआरआई (3%)-19900	रु.10000-एआरआई (3%)-18100	रु.8500-एआरआई (3%)-15400	रु.8000-एआरआई (3%)-14500	35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)		रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.11000-एआरआई (3%)-19900	रु.10000-एआरआई (3%)-18100	रु.9000-एआरआई (3%)-16300	रु.8000-एआरआई (3%)-14500	रु.7500-एआरआई (3%)-13600	35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)		रु.11000-एआरआई (2.5%)-18100	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8500-एआरआई (2.5%)-14000	रु.7500-एआरआई (2.5%)-12300	रु.7000-एआरआई (2.5%)-11500	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)		रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8500-एआरआई (2.5%)-14000	रु.8000-एआरआई (2.5%)-13200	रु.7000-एआरआई (2.5%)-11500		20%

VII (1 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपये से कम)		रु.8500-एआरआई (2%)-12700	रु.7500-एआरआई (2%)-11200	रु.7000-एआरआई (2%)-10500	रु.6000-एआरआई (2%)-9000	**20%**
VIII (1 करोड़ रुपये से कम)		रु.7000-एआरआई (2%)-10500		रु.6000-एआरआई (2%)-9000	रु.5000-एआरआई (2%)-7500	**20%**

टिप्पणी: 'एआरआई' वेतनवृद्धि की वार्षिक दर के लिए आया है।

512

सारणी- III

समाचार पत्र प्रतिष्ठान

ग. गैर-पत्रकार (कारखाना स्टाफ)

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<--- Scales of Pay for Group of Employees --->							परवर्ती वेतन (मूल वेतन का %)
	1क	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	<----- कोई स्केल नहीं ----->	रु.13500-एआरआई (4%)-29600	रु.12000-एआरआई (4%)-26300	रु.11000-एआरआई (4%)-24100	रु.10000-एआरआई (4%)-22000	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	रु.8000-एआरआई (4%)-17600	35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)		रु.12500-एआरआई (4%)-27400	रु.11000-एआरआई (4%)-24100	रु.10000-एआरआई (4%)-22000	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	रु.8000-एआरआई (4%)-17600	रु.7500-एआरआई (4%)-16500	35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)		रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.10500-एआरआई (3%)-19000	रु.9500-एआरआई (3%)-17200	रु.8500-एआरआई (3%)-15400	रु.7500-एआरआई (3%)-13600	रु.7000-एआरआई (3%)-12700	35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)		रु.11000-एआरआई (3%)-19900	रु.10000-एआरआई (3%)-18100	रु.9000-एआरआई (3%)-16300	रु.8000-एआरआई (3%)-14500	रु.7000-एआरआई (3%)-12700	रु.6500-एआरआई (3%) - 11800	35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)		रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8000-एआरआई (2.5%)-13200	रु.7500-एआरआई (2.5%)-12300	रु.6500-एआरआई (2.5%)-10700	रु.6000-एआरआई (2.5%)-9900	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)		रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8000-एआरआई (2.5%)-13200	रु.7500-एआरआई (2.5%)-12300	रु.7000-एआरआई (2.5%)-11500	रु.6000-एआरआई (2.5%)-9900		20%

VII (1 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपये से कम)		रु.8000-एआरआई (2%)-11900	रु.7500-एआरआई (2%)-11200	रु.6500-एआरआई (2%)-9700	रु.5500-एआरआई (2%)-8200	20%
VIII (1 करोड़ रुपये से कम)		रु.7000-एआरआई (2%)-10500		रु.6000-एआरआई (2%)-9000	रु.5000-एआरआई (2%)-7500	20%

टिप्पणी: 'एआरआई' वेतनवृद्धि की वार्षिक दर के लिए आया है।

गुप्त
फा.सं. वी-24032/1/2011-डब्ल्यू.बी.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
******

सारणी-IV

महंगाई भत्ते की गणना हेतु सूत्र

मंहगाई भत्ते की गणना हेतु सूत्र के लिए पूर्ववर्ती 12 महीनों का औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) तथा औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) 167 पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी से वर्ष जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक वर्ष में दो बार भुगतेय में अंतर को न्यूट्रालाइजेशन की दर तथा मूल वेतन से गुणा किया जायेगा।
गणितीय रूप में इसे निम्नानुसार लिखा जा सकता है:

औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक (पूर्ववर्ती 12 महीने)
माइनस
औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक (जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

महंगाई भत्ता = -- X न्यूट्रालाइजेशन की दर (1.0) X मूल वेतन

औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक (जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

सारणी-V
शहरों का वर्गीकरण

क्षेत्र- 'X'					
क्र.सं.	शहर		क्र.सं.	शहर	
1.	बंगलूरू	(यूए)	7.	अहमदाबाद	(यूए)
2.	चेन्नई	(यूए)	8.	कानपुर	(यूए)
3.	दिल्ली और फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा	(यूए)	9.	लखनऊ	(यूए)
4.	हैदराबाद/सिकन्द्राबाद	(यूए)	10.	नागपुर	(यूए)
5.	ग्रेटर मुंबई/नेवी मुंबई	(यूए)			
6.	कोलकाता	(यूए)			

क्षेत्र-'Y'					
1.	आगरा	(यूए)	28.	कोच्चि	(यूए)
2.	अजमेर		29.	कोल्हापुर	(यूए)
3.	अलीगढ़		30.	कोझिकोड	(यूए)
4.	इलाहाबाद	(यूए)	31.	कोटा	
5.	अमरावती		32.	लुधियाना	
6.	अमृतसर	(यूए)	33.	मदुरै	(यूए)
7.	औरंगाबाद	(यूए)	34.	मेरठ	(यूए)
8.	बरेली		18.	मुरादाबाद	(यूए)
9.	भावनगर		19.	मैसूर	(यूए)
10.	बीकानेर		20.	नासिक	(यूए)
11.	भोपाल		21.	पुणे	(यूए)
12.	भुवनेश्वर		22.	पटना	(यूए)
13.	चंडीगढ़	(यूए)	23.	रायपुर	(यूए)
14.	कोयम्बटूर	(यूए)	24.	राजकोट	
15.	कटक	(यूए)	25.	रांची	
16.	दुर्गापुर		26.	शोलापुर	
17.	गोरखपुर		27.	श्रीनगर	(यूए)
18.	गुवाहाटी		28.	सूरत	(यूए)
19.	गुन्टूर		29.	तिरूवनंतपुरम	(यूए)
20.	ग्वालियर	(यूए)	30.	वडोदरा	(यूए)
21.	इन्दौर	(यूए)	31.	वाराणसी	(यूए)
22.	हुबली-धारवाड़		32.	विजयवाड़ा	(यूए)
23.	जबलपुर	(यूए)	33.	विशाखापतनम	(यूए)
24.	जयपुर	(यूए)	34.	वारंगल	
25.	जालंधर	(यूए)	35.	मंगलौर	(यूए)
26.	जमशेदपुर	(यूए)	53.	नागपुर	(यूए)
27.	जोधपुर		54.	पुडुचेरी	(यूए)
55.	सलेम	(यूए)	63.	दुर्ग-भिलाई	
56.	तिरूपुर	(यूए)	64.	जम्मू	(यूए)
57.	तिरूचिरापल्ली	(यूए)	65.	जालंधर	(यूए)

58.	आसनसोल	(यूए)	66.	जालंधर छावेनी	(यूए)
59.	बेलगाम	(यूए)	67.	जामनगर	(यूए)
60.	भिवण्डी	(यूए)	68.	कानपुर	(यूए)
61.	धनबाद	(यूए)	69.	दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)
62.	देहरादून	(यूए)			

क्षेत्र-'Z' में वे सभी क्षेत्र आएंगे जो इस सूची में उल्लिखित नहीं है।

नोट: यू ए का अर्थ शहरी समूह है।

अध्याय XX

विषय: समाचार एजेंसियों में श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर- पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें

खण्ड 1
प्रारंभिक

लघु शीर्षक एवं गठन : (1) इन सिफारिशों को मजीठिया वेतन बोर्ड का पंचाट कहा जाए।

(2) यह पंचाट जुलाई, 2010 की पहली तारीख प्रभावी माना जाएगा।

2. **परिभाषाएं** - इस पंचाट में जब तक की इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर- पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का एक्सएलवी) से है;

(2) "गणना वर्ष" किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयोग किया गया हो तो उसे समाचार पत्र प्रतिष्ठान के मामले में वित्तीय वर्ष माना जाए, जो अप्रैल की प्रथम तारीख से शुरू होती है। यद्यपि, किसी समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष वित्तीय वर्ष से भिन्न होता है, इसका अर्थ किसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष होगा जिसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष की आधी से अधिक अवधि आती हो। किसी समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान जिसका गणना वर्ष अक्तूबर की पहली तारीख से शुरू होने की स्थिति में गणना का वर्ष वह माना जाएगा जिसके प्रथम छ: माह इस अवधि में आते हों।

व्याख्या - यदि किसी समाचार प्रतिष्ठान का गणना वर्ष जनवरी की पहली तारीख से शुरू हो तो इस पंचाट में गणना वर्ष 2009 के संदर्भ में वर्ष 2009-10 के गणना वर्ष का संदर्भ लिया जाएगा। पुन: किसी समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष अक्तूबर की पहली तारीख से शुरू होने की स्थिति में इसे पंचाट में उल्लिखित गणना वर्ष 2009 के संदर्भ में उस प्रतिष्ठान के लिए वर्ष 2009-10 के गणना वर्ष का संदर्भ लिया जाएगा।

(3) **"मूल वेतन"** से तात्पर्य विहित वेतनमान में आहरित किए गए वेतन जिसमें स्थायित्व वेतन वृद्धि, यदि हो, से है परन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन शामिल नहीं होता है, यथा विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि।

(4) **"श्रेणी" से तात्पर्य** उन समाचार-पत्र कर्मचारियों के रूप में उल्लिखित वैसे कर्मचारियों से है जो इस पंचाट के अंतर्गत **समूहों या श्रेणियों में** रखे गए हैं।

(5) **"समाचार** एजेंसी का सकल राजस्व" से तात्पर्य सभी स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व से है जिसमें अपनी सेवाओं के विक्रय से **अर्जित की गयी** अंशदान राजस्व भी शामिल हैं।

(6) **"समाचार एजेंसी"** से तात्पर्य उस प्रतिष्ठान से है जो कोई समाचार एजेंसी अथवा सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और कोई **समाचार एजेंसी** का ऐसा उपक्रम जिसका प्रधान उद्देश्य समाचार तथा समाचार सामग्री एकत्र करना है एवं इनका वितरण समाचार **के उपक्रमों के समूह** तक करना है और अपवादस्वरूप स्थिति में लोगों को सम्पूर्ण एवं पक्षपात रहित समाचार सेवा उपलब्ध कराना **जिसमें भुगतान की शर्तें** संगत व्यावसायिक कानूनों तथा प्रयोगों की स्थिति के अनुसार शामिल हैं।

(7) **"समाचार-**पत्र कर्मचारी" से तात्पर्य श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी अथवा दोनों से है।

(8) **"अनुसूची"** से तात्पर्य इस पंचाट में संलग्न अनुसूची से है।

(9) **"तालिका"** से तात्पर्य इस पंचाट में संलग्न तालिकाओं से है।

(10) शब्द तथा पद "समाचार पत्र प्रतिष्ठान" से तात्पर्य "श्रमजीवी पत्रकार" और "गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी" का तात्पर्य इस अधिनियम में क्रमशः संदर्भित उल्लेखों से होगा।

खण्ड -II

(समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण तथा समाचार एजेंसी कर्मचारियों का समूह तैयार करना)

3. **समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण-** समाचार एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन दरों का निर्धारण अथवा पुनः निर्धारण के लिए समाचार एजेंसियों को उनके तीन लेखा वर्षों वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के औसत सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

4. **वर्गीकरण की निरंतरता-** इस अध्याय के अंतर्गत किए गए वर्गीकरण को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक की समाचार एजेंसी इस अध्याय के पैरा-6 के उपबंधों के अनुसरण में पुनः वर्गीकृत हो जाती है।

5. **समाचार एजेंसी का वर्गीकरण-** समाचार एजेंसियों को निम्नलिखित वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जो इस अध्याय के पैरा 3 के अनुसार उनके सकल राजस्व पर आधारित होगा ।

वर्ग	सकल राजस्व
I.	60 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक
II.	30 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक परन्तु 60 करोड़ रुपये से कम
III.	10 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक परन्तु 30 करोड़ रुपये से कम
IV.	10 करोड़ रुपये से कम

टिप्पणी: विदेशी समाचार एजेंसियां अर्थात् वे समाचार एजेंसियां जो भारत में क्रियाशील हैं परन्तु उनका प्रधान कार्यालय भारत से बाहर हैं, श्रेणी-I समाचार एजेंसी के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

6. **पुनर्वर्गीकरण:** यह या तो नियोक्ता पर अथवा कर्मचारी पर निर्भर करेगा कि वह किसी समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान के पुनः वर्गीकरण की मांग इस पंचाट के प्रवर्तन की तिथि से एक वर्ष से भीतर किसी भी समय पिछले तीन क्रमिक लेखा वर्षों के औसत सकल राजस्व के आधार पर करता है;

बशर्ते कि ऐसे पुनर्वर्गीकरण की मांग पिछले तीन क्रमिक लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक न की गई हो।

बशर्ते कि ऐसे किसी वर्गीकरण की अपेक्षा मजीठिया वेतन बोर्ड के पंचाटों के क्रियान्वयन के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में प्रभावी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की गयी मूल्य स्फीति को संतुलित करने के लिए की गई है।

7. **समाचार पत्र कर्मचारियों का समूहीकरण:-** (1) किसी समाचार एजेंसी के नियमित संवर्ग के श्रमजीवी पत्रकारों को पहली अनुसूची के अंतर्गत एक समूह में रखा जाएगा; और उनकी क्रियात्मक परिभाषा की व्याख्या किसी समाचार एजेंसी में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों के विभिन्न समूहों के लिए क्रमशः अनुसूची IV-क और IV-ख में की गयी है।

(2) गैर-समाचार पत्र कर्मचारी- किसी समाचार एजेंसी के प्रशासनिक स्टाफ अनुसूची-V के अंतर्गत आने वाले समूह में माने जाएंगे।

9. **परिवर्ती वेतन:**

परिवर्ती वेतन की संकल्पना लागू की गयी है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित दो लक्ष्यों को प्राप्त करना है:

(ख) छठे वेतन आयोग ने ग्रेड-वेतन की संकल्पना की सिफारिश की थी जिसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी। इसी आधार पर समाचार पत्र प्रतिष्ठानों तथा समाचार एजेंसियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन शुरू

करने की आवश्यकता है। परिवर्ती वेतन समाचार उद्योग में कार्यरत किसी कर्मचारी द्वारा आहरित की जा रही मूल वेतन का विनिर्दिष्ट प्रतिशत होगा। सभी भत्ते जैसे आवास भत्ता, परिवहन भत्ता तथा अवकाश यात्रा भत्ता आदि की संगणना उनके संशोधित मूल वेतन और किसी कर्मचारी के लिए अनुमेय परिवर्ती वेतन के कुल योग के आधार पर की जाएगी।

(ग) वेतन बोर्डों द्वारा सिफारिश की गयी परिवर्ती वेतन सभी कर्मचारियों के लिए मान्य न्यूनतम देय वेतन होगा जिसमें ठेका आधार पर कार्यरत सभी कर्मचारी शामिल होंगे और प्रबंधन इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह समाचार प्रतिष्ठानों की लाभ प्रदत्तता तथा संवहनीयता के अनुसार किसी कर्मचारी को सिफारिश किए गए परिवर्ती वेतन से अधिक वेतन को भुगतान करे।

खण्ड III
वेतन तथा भत्तों के संशोधित वेतनमान

8. श्रमजीवी पत्रकार के लिए संशोधित वेतनमान - (1) वेतन बोर्ड द्वारा 20 वर्षों की अवधि के लिए की गयी सिफारिश के अनुसार समाचार एजेंसी के विभिन्न वर्गों के प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार समूह के लिए वेतन तथा भत्तों का संशोधित वेतनमान तालिका I में दिया गया है।

(2) सभी अंशकालिक प्रतिनिधि/फोटोग्राफर को पूर्णकालिक प्रतिनिधि/फोटोग्राफर जो समान स्तर का हो, के मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता के 40% से कम भुगतान नहीं किया जाएगा यदि उसकी तैनाती जिला मुख्यालयों में की गई हो और 30% से कम भुगतान नहीं किया जाएगा जब उसके तैनाती जिला मुख्यालयों से छोटे स्थानों पर की गई हो, बशर्ते कि कोई अंशकालिक प्रतिनिधि/फोटोग्राफर दो या अधिक समाचार एजेंसियों अथवा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के लिए काम न करता हो। इसके अतिरिक्त, उन्हे भुगतान कॉलम आधार पर किया जाएगा जो अंशकालिक प्रतिनिधि/फोटोग्राफर द्वारा आहरित किए जाने वाले मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते को देखते हुए आपसी सहमति से तय किए गए दर के आधार पर निर्धारित होगा।

9. गैर पत्रकार के लिए संशोधित वेतनमान:- (1) संशोधित वेतनमान तथा परिवर्ती वेतन जो कि वेतन मंडल द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए किए गए सिफारिश के अनुसार है और गैर-पत्रकार समाचार एजेंसी के कर्मचारियों-तथा तालिका-II में उल्लिखित समाचार एजेंसी के विभिन्न श्रेणी के प्रशासनिक स्टाफ के लिए विहित है।

(2) प्रत्येक समय आधारित कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जो समय आधारित कर्मचारी(आवधिक कार्य हेतु) के रूप में नियोजित हैं, के लिए विहित कार्य घंटों से या तो कम या अधिक और कार्य निष्पादन अथवा नियमित कर्मचारी के समान किया गया कार्य, को दिन प्रति दिन आधार पर नियमित कर्मचारी के समान नियोजित किए जाने वाले कार्य घंटों के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।

व्याख्या- उपर्युक्त पैरा 8 एवं 9 के निहितार्थ

(क) समाचार-पत्र प्रतिष्ठान पर वेतन वृद्धि के संभावित प्रभाव की निम्नवत व्याख्या की गई है:-

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए विश्लेषणात्मक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि समाचार-पत्र उद्योग में कर्मचारियों की मजदूरी तथा वेतन सामान्यत: उस प्रतिष्ठान के सकल राजस्व का 10% होता है और इसे कुछ हद तक वेतन संबंधी जानकारी तथा समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा वेतन बोर्डों को प्रस्तुत सकल राजस्व से भी सहयोग प्राप्त होता है। वेतन बोर्डों का प्रस्ताव वेतन में 35% की वृद्धि दर्शाते हैं जबकि मजदूरी/वेतन में अंतरिम सहायता से 20% अधिक की वृद्धि की गई है जिसमें वर्ग I से IV तथा वर्ग V से VIII के कर्मचारियों को दी गई वेतन वृद्धि शामिल है। अनुमानत: इस वृद्धि का यह आशय है कि समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में वर्ग I से IV के कर्मचारियों के संबंध में वेतन लगभग सकल राजस्व का लगभग 13.5% होगा। अत: इसका परिणाम सकल राजस्व पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार 3.5% होगा। ठीक इसी प्रकार, वर्ग V से VIII के लिए समाचार-पत्र प्रतिष्ठान पर कुल भार सकल राजस्व का मात्र 2% होगा। फिर भी यह अतिरिक्त भार समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के लिए अत्यंत कठिन होगा जैसाकि पिछले रूझानों से पता चलता है। समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय आकड़ों के आधार पर बोर्डों ने यह महसूस किया कि ऐसा मामूली वृद्धि करना संभव होगा।

ख) समाचार-पत्र कर्मचारियों के लाभ के संबंध में -

i. वर्ग I से IV के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के संबंध में,परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 35% के वृद्धि की सिफारिश की गई है जिससे "समाचार-पत्र कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन" लगभग 2.90 से 3.20 गुणा बढ़ जाएगा, और

ii. वर्ग V से VIII के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के संबंध में,परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 20% के वृद्धि की सिफारिश की गई है जिससे "समाचार-पत्र कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन" लगभग 2.58 से 2.84 गुणा बढ़ जाएगा।

10. संशोधित वेतनमान में आहरण किया जाने वाला वेतन - इस पंचाट में प्रदत्त एवं अन्यथा संरक्षित, किसी समाचार एजेन्सी का कर्मचारी जिस समूह का होगा उसके लिए अनुप्रयोज्य संशोधित वेतनमान का आहरण करेगा।

11. महंगाई भत्ता - (1) मंहगाई भत्तों के संशोधित दरों का भुगतान श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक कामगारों के लिए (2001=100) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार किया जाएगा और यह 01.07.2010 से प्रभावी हो जाएगा।

(2) जैसे ही पिछले 12 माह के आकड़े संस्वीकृत हो जाएंगे और जिसके लिए औद्योगिक कामगारों के लिए (2001=100) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मंहगाई भत्ते के निर्धारण के लिए किया जाने वाला आंकड़ा उपलब्ध होगा, वैसे ही मंहगाई भत्ता पहली जुलाई तथा प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी से द्वि-वार्षिक रूप से देय होगा। मंहगाई भत्ता, जिसका निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मंहगाई भत्ते के निर्धारण के लिए किया जाता है, आगामी 12 माह की अवधि की शुरूआत से देय होगा।

(3) महगाई भत्ता जोकि द्वि-वार्षिक रूप से देय होता है के दर के निर्धारण के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग समाचार एजेंसी प्रतिष्ठानों के सभी समूहों के मूल वेतन का 100% होगा और इसकी गणना तालिका-III में दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी।

व्याख्या- इस पैरा के निहितार्थ -

पंचाट के क्रियान्वयन की तिथि से पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में महंगाई भत्ता मौजूदा दर पर ही दिया जाएगा।

12. मकान किराया भत्ता - समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को संबंधित परिभाषित क्षेत्रों यथा- क्षेत्र "एक्स", "वाई" तथा "जेड" के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत अनुपालन की जानी वाली पद्धति पर आधारित और महानगरों, शहरों तथा नगरों में समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए क्रमश: 30%, 20% एवं 10% के मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाएगा। शहरों का क्षेत्र "एक्स", "वाई" तथा "जेड" के रूप में वर्गीकरण तालिका-IV में विहित है।

बशर्ते कि-

(1) जहां किसी कर्मचारी को समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हो, वहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा हो तो उसका समायोजन इस उपबंध के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते की राशि में से किया जाएगा।

(3) जहां कोई समाचार प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी की ओर से कोई राशि का अंशदान किसी निधि में इसलिए करती है कि वह कर्मचारी अपना स्वयं का मकान लेने में सक्षम हो सके तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबंध के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते की राशि में किया जाएगा।

13. परिवहन भत्ता - समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को संबंधित परिभाषित क्षेत्रों यथा- क्षेत्र "एक्स", "वाई" तथा "जेड" के लिए क्रमश: 20%, 10% एवं 5% के परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाएगा। शहरों का क्षेत्र "एक्स", "वाई" तथा "जेड" के रूप में वर्गीकरण तालिका-IV में विहित है।

परिवहन भत्ता के दृष्टिगत, जोकि समाचार-पत्र कर्मचारियों सहित सभी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख व्यय है, वेतन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता हटा दिया गया है।

14. **रात्रि पाली भत्ता** -समाचार प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई दरों के अनुसार रात्रि पाली भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

समाचारपत्र प्रतिष्ठान की श्रेणी	प्रति रात्रि पाली दर	समाचारपत्र प्रतिष्ठान की श्रेणी	प्रति रात्रि पाली दर
I और II	100/-रूपये	V और VI	50/-रूपये
III और IV	75/- रुपये	VII और VII	50/- रुपये

15. **विपत्ति भत्ता** - (1) कोई कर्मचारी जो श्रेणी-I और II में आने वाले समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं और जो पहाडी क्षेत्र में समुद्री तल से 5000 फीट (1524 मीटर) की ऊंचाई पर अथवा बाधित क्षेत्र में स्थित है, तो उन्हें 1000/-रूपये प्रतिमाह एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

(2) कोई कर्मचारी जो श्रेणी-III और IV में आने वाले समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं और जो पहाडी क्षेत्र में समुद्री तल से 5000 फीट (1524 मीटर) की ऊंचाई पर अथवा बाधित क्षेत्र में स्थित है, तो उन्हें 500/-रूपये प्रतिमाह एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) कठिनाई भत्ता समाचारपत्र प्रतिष्ठान के श्रेणी VII और VIII के कर्मचारियों को लागू नहीं होगा।

व्याख्या - इस पैरा के निहितार्थ -

"बाधित क्षेत्र " से आशय उस क्षेत्र से है जिसे संबंधित अधिनियम में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार जैसी भी स्थिति हो, समुचित सरकार ने बाधित क्षेत्र घोषित किया हो।

16. **छुट्टी यात्रा भत्ता (एलटीए)**- समाचार प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एक माह के मूल वेतन के समकक्ष छुट्टी यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। छुट्टी यात्रा भत्ता दो वर्षों के एक ब्लाक में एक बार देय होगा बशर्ते कि वास्तव में छुट्टी पर जाने एवं यात्रा किए जाने संबंधी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

17. **चिकित्सा भत्ता**- (1) कोई कर्मचारी जो श्रेणी-I और II में आने वाले समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं उन्हें 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी प्रबंधन के परामर्श से अनुमेय वार्षिक चिकित्सा भत्ता से अनधिक प्रीमियम वाले स्वास्थ्य बीमा का चयन कर सकते हैं।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों को कोई चिकित्सा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

(3) जैसाकि श्रेणी-III और IV में आने वाले समाचार प्रतिष्ठान अपने सभी कर्मचारियों को मेडीकेयर बीमा कवर प्रदान करेंगे और बीमा कंपनी को भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की राशि 2000/- रूपये तक प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी निर्धारित होगी।

19. **संशोधित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण** - संशोधित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा-

क) नये प्रवेशक के लिए संशोधित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण वेतनमान का न्यूनतम वेतन से किया जाएगा।

ख) समाचार-पत्र प्रतिष्ठान में पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण मौजूदा आहरित राशि से तत्काल ऊपर स्तर की राशि होगी।

ग) यदि संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन किसी कर्मचारी द्वारा आहरित मौजूदा वेतन से अधिक है तो उसके वेतन का निर्धारण संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन से होगा।

घ) यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से अधिक हो तो संशोधित वेतनमान में अगले उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारित की जाएगी।

ङ) प्रत्येक कर्मचारी पंचाट के लागू होने की तिथि से ठीक पहले धारित पद पर प्रत्येक 5 वर्ष के पूरे होने पर संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्वि प्रदान की जाएगी।

च) सुनिश्चित कैरियर विकास (एसीपी) के संबंध में सभी कर्मचारी को उनके पूरे सेवाकाल में कम से कम तीन तरक्की दी जाएगी अर्थात **पहली** 10 साल की सेवा संतोषप्रद ढंग से पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में, **दूसरी** 20 साल की सेवा संतोषप्रद ढंग से पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में और **तीसरी** 30 साल की सेवा संतोषप्रद ढंग से पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में होगी।

छ) संबंधित कर्मचारी द्वारा किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान में किसी अन्य पद के वेतनमान में की गई सेवा, जिसके वेतनमान के न्यूनतम 30% से अनधिक में उस कर्मचारी ने सेवा की हो, इसके लिए ध्यान में रखी जाएगी।

ज) वेतन वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

झ) कोई भी कर्मचारी संशोधित वेतनमान में अधिकतम वेतन से अधिक नहीं प्राप्त करेगा।

ञ) सभी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान 1 जुलाई, 2010 से अनुप्रयोज्य होगा। तथापि, यदि कोई कर्मचारी इन सिफारिशों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपना विकल्प नहीं देते कि वे अपना मौजूदा वेतनमान और "मौजूदा परिलब्धियां " कायम रखेंगे, तो उन्हें यह अधिकार होगा कि वह अपना मौजूदा वेतनमान और ऐसे परिलब्धियां को कायम रख सकेंगे।

व्याख्या:

(1) किसी कर्मचारी के "मौजूदा परिलब्धियां " का अर्थ उसका मूलवेतन, परिवर्ती मंहगाई भत्ता जो कि औद्योगिक कामगारों के लिए (2001=100) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जुलाई, 2009 की अवधि से जून, 2010 के दौरान 167 अंक था जो जुलाई, 2009 की अवधि से जून, 2010 तक परिवर्तनीय आधार औद्योगिक कामगारों के लिए (1982=100) परिवर्तन कारक 4.63 द्वारा निर्धारित होगा और अंतरिम सहायता के रूप में मूलवेतन का 30% दिनांक 25 अगस्त, 2008 के अधिसूचना सां.आ.सं.2524(अ) और 2525(अ) द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर- पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए क्रमशः अनुप्रयोज्य होगा।

(2) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियां " से आशय यह है कि "मौजूदा परिलब्धियों" के अतिरिक्त मिलने वाली तथा किसी प्रतिष्ठान द्वारा खंड (1) में परिभाषित परिलब्धि जो सामूहिक सौदेकारी के परिणामस्वरूप मान्य हो, अनुबंध अथवा पंचाट, जो मूलवेतन, मंहगाई भत्ता अथवा अंतरिम राहत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है।

(3) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियां " से आशय किसी कर्मचारी का मासिक भुगतान जिसमें जैसे भी परिलब्धि प्राप्त की गई है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित नहीं हो और जिस पर किसी वेतन संशोधन अथवा मंहगाई भत्ते के विरूद्ध समायोजन के लिए सहमति नहीं दी गई हो।

19. बकायों के भुगतान की प्रकृति- बकायों को पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से भुगतेय माना जाएगा, यदि कहीं, भूतलक्षी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देय हो, तो इसका भुगतान तीन बराबर किश्तों में इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से प्रत्येक छ: माह के पश्चात दी जाएगी तथा पहली किश्त का भुगतान तीन माह के भीतर कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि-

समाचार प्रतिष्ठान, इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से जो पिछले तीन लेखा वर्षों में भारी नकदी नुकसान से प्रभावित रहा हो, को इस प्रकार के बकायों के भुगतान से छूट दी जाएगी। तथापि, इन समाचार प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन नोशनल आधार पर संशोधित वेतनमान में इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से अर्थात 1 जुलाई, 2010 से निर्धारित करे।

20. भत्तों के प्रभावी होने की तिथि- इस पंचाट में अन्यथा प्रदत्त के अलावा, इसके विपरीत, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, कठिनाई भत्ता अथवा इस पंचाट में विनिर्दिष्ट अन्य कोई भत्ते इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची-IV:
(समाचार एजेंसी में श्रमजीवी पत्रकारों का समूहन)

अनुसूची-IV.क

(समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में श्रमजीवी पत्रकारों का समूहन)

ग्रुप-1क: **प्रधान संपादक**, मुख्य संपादक, उप मुख्य संपादक

ग्रुप-1: संपादक, मुख्य उत्पादक (दूरदर्शन), प्रभागीय ब्यूरो प्रधान

ग्रुप-2: मुख्य समाचार संपादक, व्यावसायिक संपादक, आर्थिक संपादक, विज्ञान संपादक, फीचर संपादक, फोटो संपादक **और अन्य खास विषयक विशिष्ट संपादक**, क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य ब्यूरो (राजधानी) का प्रधान, चयन पर आधारित विशेष, प्रधान अथवा विदेशी संवाददाता

ग्रुप-3: विशेष संवाददाता अथवा प्रधान संवाददाता, विदेशी संवाददाता, समाचार संपादक, मुख्य रिपोर्टर, मुख्य फोटोग्राफर, उत्पादक (दूरदर्शन), स्टॉक एक्सचेंज सेवाओं का प्रबंधक, प्रबंधक समाचार एक्सचेंज, विशेष संवाददाता (दूरदर्शन), प्रबंधक राज्य कैपिटल ब्यूरो और मुख्य लाइब्रेरियन।

ग्रुप-4: मुख्य उप संपादक अथवा उप मुख्य उप संपादक अथवा वरिष्ठ उप संपादक अथवा उप संपादक; वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ लाइब्रेरियन।

ग्रुप-5: वरिष्ठ रिपोर्टर अथवा रिपोर्टर, वरिष्ठ फोटोग्राफर अथवा, सहायक उत्पादक-सह-रिपोर्टर (दूरदर्शन), संवाददाता, फोटोग्राफर, दूरदर्शन रिपोर्टर और लइब्रेरियन।

नोट:

(1) समाचार एजेंसी ने किसी पद के साथ पदस्थापित कोई भी समाचार पत्र कर्मचारी अनुसूची में उल्लिखित उन लोगों से अलग है किन्तु इसे समान अथवा समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए सूची में किसी भी ग्रुप से उसे ग्रुप में कार्यकारी पत्रकार कहा जाएगा।

(2) अनुसूची में उल्लिखित सभी दर्जे के कर्मचारी को समाचार एजेंसी के प्रत्येक वर्ग में विद्यमान है अथवा नहीं।

अनुसूची-IV.ख

(कार्यात्मक परिभाषा - श्रमजीवी पत्रकार)

ग्रुप I.क

1. **'प्रधान संपादक' अथवा ' मुख्य संपादक'** का अर्थ वैसे व्यक्ति से है जो एक समाचार एजेंसी में सभी कार्यों का देखरेख करता है।

2. 'उप मुख्य संपादक का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो उप मुख्य संपादक को उसके कार्यों के निष्पादन में सहयोग करता है और उनकी उनुपस्थिति में कामकाज देखता है।

ग्रुप-I

3. 'संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाचार एजेंसी के संपादकीय भाग के कार्य के लिए निदेश देता है और उसका निरीक्षण करता है।

4. 'मुख्य निर्माता (दूरदर्शन) का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाचार एजेंसी की दूरदर्शन सेवा के समग्र कार्यों का प्रबंधन करता है।

5. 'प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समस्त समाचार के केन्द्रीय समाचार डेस्क का प्रबंधक है और जो बंगलूरु और हैदराबाद के अलावा महानगरिय केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई का प्रबंधन और मार्गदर्शन करता है।

ग्रुप-II

6. 'मुख्य समाचार संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो उप मुख्य संपादक को उनके कार्यों के निष्पादन और समाचार संबंधी कार्यकलापों के समन्वय में सहयोग करता है।

8. 'वाणिज्यिकर संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाचार और व्यवसाय, वित्त, व्यपार और उद्योग संबंधी समाचारों और विचारों के कार्यकलाप को देखता है और उस पर अपना विचार देता है तथा एक अथवा अधिक रिपोर्टरों के कार्यो का वितरण एवं प्रबंधन करता है।

7. 'आर्थिक संपादक' का अर्थ एक ऐसी व्यक्ति से है जो समाचार एजेंसी के आर्थिक सेवाओं का प्रबंधन करता है।

8. 'विज्ञान संपादक' का अर्थ एक व्यक्ति से है जो विज्ञान और प्रोद्योगिकी से संबंधित विशिष्ट समाचारों को देखता है और समाचार एजेंसी के विज्ञान सेवा संबंधी मामलों का प्रवंधन करता है।

10. 'फीचर संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो फीचर संबंधी मामलों को देखता है और समाचार एजेंसी के फीचर सेवाओं को सामने लाता है।

11. 'फोटो संपादक' न्यूज ऐजेंसी के फोटो सेवाओं को संचालित और समन्वय करने वाला होता है।

12. 'क्षेत्रीय प्रबंधक' देश के पश्चिमी/उत्तरी/ पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्रों में समाचार एजेंसी के समाचारों और अन्य सेवाओं का प्रबंधक होता है।

13. 'राज्य ब्यूरो का प्रमुख' का अर्थ उस व्यक्ति से जो राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के समाचारों को संग्रह करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।

14. चयन के आधार पर 'विशेष संवाददाता' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से जो कार्य अधिकता और उत्तरदायित्व के निर्वाहन की वजह से उच्च वर्ग में पद स्थापित होते हैं।

ग्रुप-III

15. 'विशेष संवाददाता' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जिनका नित्य कार्य संसदीय, राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचारों को प्रचालित करना है अथवा एक व्यक्ति जो एक महानगरीय केन्द्र में रहते हैं जिन्हें आर्थिक महत्व अथवा राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के समाचारों को कवर करने में विशिष्टता हासिल है।

16. 'प्रधान संवाददाता' का अर्थ राज्य की राजधानियों क उस संवाददाता से है जो राज्य सरकारों के प्रति प्रत्यायित होते हैं।

17. 'विदेश संवाददाता' का अर्थ वेसे व्यक्ति से जो विदेश में रहते हुए उन देशों अथवा उस देश के हिस्सों के लिए समाचार कवरेज करते हैं जिसके लिए उसकी ड्यूटी लगायी जाती है।

18. 'समाचार संपादक' का अर्थ एक वेसे व्यक्ति से जो समाचार प्रभाग अथवा महानगरीय केन्द्रों के क्षेत्रीय समाचारों का प्रबंधक होता है और विभिन्न समाचार सेवाओं की देखभाल, निर्देशन और मार्गदर्शन करता है।

19. 'मुख्य रिपोर्टर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो महानगरीय केन्द्र में उस केन्द्र के अंतर्गत सभी रिपोर्टरों का प्रबंधक होता है और सभी विधायी, राजनैतिक अथवा समान्य महत्वा के समाचारों का रिपोर्टर होता है।

20. 'मुख्य फोटोग्राफ़र' का अर्थ वह व्यक्ति जो फोटोग्राफरों के कार्यों का वितरतण तथा अनुविक्षण करता है।

21. 'दूरदर्शन निर्माता' का अर्थ वह व्यक्ति जो संबंधी क्षेत्रों के प्रोग्रामिंग (आर्थिक,सामयिकी, शिक्षा और समाचारों) का प्रबंधक होता है।

22. 'स्टॉक एक्सचेंज सेवाओं का प्रबंधक' का अर्थ वह व्यक्ति जो स्टॉक एक्सचेंज सूचनाओं और स्टॉक सेवा रिपोटों का समन्वय करता है।

23. प्रबंधक समाचार एक्सचेंज का अर्थ वह व्यक्ति जो समाचार एजेंसियों के प्रोग्रामों का दूसरे एजेंसियों से आदान-प्रदान करता है।

24. बिशेष संवाददाता (दूरदर्शन) का अर्थ वह व्यक्ति जो समाचारों और सामयिक रिपोर्टो का प्रबंधक होता है तथा यथासंभव उसे प्रस्तुत भी करता है।

25. 'राज्य कैपिटल ब्यूरो प्रबंधक' वह व्यक्ति जो राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के समाचार के संग्रहण में मार्गदर्शन और निर्देशन करता है।

26. 'मुख्य लाइब्रेरियन का अर्थ है वह व्यक्ति जो लाइब्रेरियन के कामों जो समाचार से संबंधित रिकार्डो को तैयार करने तथा उसकी देख-भाल करते हैं और अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं जो कि समाचार कि कहानियों की पटकथा अथवा उसको पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ग्रुप-IV:

27. मुख्य 'उप संपादक' का अर्थ महानगरीय केन्द्र में कार्यरत वह व्यक्ति जो उप-संपादकों के कार्यों को शिफ्ट पर नियमितरुप से प्रबंधन करता है और उसके कार्यों का विभाजन तथा देखभाल करता है।

28. 'उप मुख्य उप संपादक' अथवा वरिष्ठ संपादक का अर्थ महानगरीय केन्द्र के उस व्यक्ति जो नियमित रुप से मुख्य शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्ट में भी संपादकीय डैस्क पर सोंपे गए काम को पूरा करने के लिए पदभार ग्रहण करने हैं अथवा जिनकी नियमित ड्यूटी विशेष ग्राहकों के लिए समाचार तैयार करना और भेजना है।

29. 'उप संपादक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारों के सभी मदों को प्राप्त, चयन, संक्षिप्त, सारांश, विस्तृत, अनुवाद, एडिट और न्यूज शीर्ष तैयार करता है और वह उसके कुछ अथवा सभी कार्यों को संचालित करता है।

30. 'वरिष्ठ संवाददाता' का अर्थ महानगरीय केन्द्र में ऐसे व्यक्ति से है जिनकी नियमित ड्यूटी संसदीय, राजनैतिक, साधारण महत्व के समाचारों को रिपोर्ट करना अथवा वह व्यक्ति जिनको आर्थिक और व्यावसायिक महत्व, न्यायालय और राष्ट्रीय खेलों से संबंधित समाचारों को नियमित रुप से कवर करने के लिए डयूटि दिए जाते हैं।

31. 'वरिष्ठ लाइब्रेरियन' का अर्थ वह व्यक्ति जो लाइब्रेरियन के कामों जो समाचार से संबंधित रिक को तैयार करने तथा उसकी देख-भाल करते हैं और अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं जो कि समाचार कि कहानियों व पटकथा अथवा उसको पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ग्रुप-V:

32. 'वरिष्ठ रिपोर्टर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिनकी नियमित ड्यूटी में राज्य सरकार के समाचारों अथवा राज्य विधान सभा की कार्रवाई की रिपोटिंग करना शामिल है।

33. 'रिपोर्टर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से जो एक खास केन्द्र के समाचारों को एकत्रित एवं प्रस्तुत कर्ता है।

34. 'वरिष्ठ फोटोग्राफर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से जो अतिमहत्वपूर्ण जनहित के कार्यों का संपादन करता है और जिस व्यक्ति को कुछ अनुभव हो तथा वे प्रमुख फोटोग्राफर की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं।

35. 'सहायक निर्माता-सह-रिपोर्टर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति है जो उत्पादन के साथ-साथ दूरदर्शन सेवा की घटनाओं के रिपोटिंग में सहयोग करता है जिसमें अनुसंधान और रिपोटिंग शामिल है।

36. 'संवाददाता' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी केन्द्र से समाचारों को इकटठा करता है और उसे वायर, डाक अथवा कोई अन्य माध्यमों से लोगों तक भेजता है।

37. 'फोटोग्राफर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो जनहित से संबंधित घटनाओं के समाचारों को फोटोग्राफी के माध्यम से कवर करता है।

38. 'दूरदर्शन रिपोर्टर' का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी खास केन्द्र पर दूरदर्शन विंग के लिए समाचारों को संग्रह एवं प्रस्तुत करता है।

39. 'लाइब्रेरियन' का अर्थ वह व्यक्ति जो समाचार से संबंधित रिकार्डो को तैयार तथा उसकी देख-भाल करते हैं और अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं जो कि समाचार कि कहानियों की पटकथा अथवा उसको पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

अनुसूची -V

(गैर पत्रकार कर्मचारी-समाचार एजेंसी स्थापना में प्रशासनिक कर्मचारियों का समूह)

समूह-1क
उपाध्यक्ष, वरिष्ठ महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक, प्रशासन का प्रमुख वित्तीय प्रबंधक -सह-सचिव ;

समूह-1:
मुख्य अभियन्ता; प्रबंधक (कार्मिक) ; लेखा प्रबंधक, प्रबंधक (प्रोन्नति एवं विकास), प्रबंधक (तकनीकी समन्वय), कार्मिक अधिकारी, मुख्य लेखाकार, कंपनी सचिव, उपमुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक

समूह-2:
क्षेत्रीय अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रसारण प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी और सदृश पद, लेखा अधिकारी आंतरिक लेखा परीक्षक और सदृश प्रशासनिक पदें, बिडियो संपादक, अभियंता (दूरदर्शन), साउंड रिकॉर्डकर्ता, केमरामैन, इलैक्ट्रोनिक्स अभियंता(आरएण्डडी), अभियंता, रोकडिया, वरिष्ठ ट्रेफिक पर्यवेक्षक, वरिष्ठ व्यावसायिक पर्यवेक्षक

समूह-3:
प्रसारण पर्यवेक्षक, केयर टेकर और अन्य सदृश पदें, उत्पादन सहायक, ट्रेफिक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (लेखा), लाइटिंग सहायक, व्यावसायिक पर्यवेक्षक

समूह-4:
वरिष्ठ वाणिज्यिक सहायक, वरिष्ठ प्रचालक, यांत्रिकी, सहायक आशुलिपिक, कनिष्ठ अभियंता. वरिष्ठ ट्रेफिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक

समूह-5:
लिपिक, टाइपिस्ट, यांत्रिकी, कनिष्ठ प्रचालक, कुशल कर्मचारी, कार चालक. दूरभाष प्रचालक, कनिष्ठ ट्रेफिक सहायक, कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक(लेखा), कनिष्ठ सहायक

समूह-6:
एटेंडर, मशीन एटेंडर, हबलदार, अभिलेखाकार, गैस्टेनर प्रचालक, चपरासी, स्वीपर चौकीदार, माली, मैसेंजर

नोट- (i) समाचार एजेंसियों में किसी पद पर पदस्थापित कोई भी समाचार पत्र कर्मचारी अनुसूची में दर्शायी गई उन लोगों से अलग है किन्तु इसे समान अथवा समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए सूची में किसी भी ग्रुप सें उसे ग्रुप के गैर पत्रकार का दर्ज दिया जाता है।

(ii) अनुसूची में उल्लिखित सभी दर्जे के कर्मचारियों को समाचार एजेंसी के प्रत्येक वर्ग में विद्यमान है अथवा नहीं।

सारणी – I
समाचार एर्जेंसी प्रतिष्ठान

क. श्रमजीवी पत्रकार

समाचार एर्जेंसी प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<— कर्मचारी-समूह के लिए वेतनमान —>						परिवर्तनीय वेतन (मूल वेतन का %)
	1क	1	2	3	4	5	
I (60 करोड़ रु. और अधिक)	<----- कोई वेतनमान नहीं----->	25000 रु. -एआरआई (4%)-54800	22000- रु. -एआरआई (4%)-48300	19000- रु. -एआरआई (4%)-41700	17000- रु. -एआरआई (4%)-37300	15000- रु. -एआरआई (4%)-32900	35%
II (30 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 60 करोड़ रु. से कम)		22000- रु. ;एआरआई (4%)-48300	20000- रु. -एआरआई (4%)-43900	18000- रु. -एआरआई (4%)-39500	16000- रु. -एआरआई (4%)-35100	14000-एआरआई (4%)-30700	35%
III (10 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 30 करोड़ रु. से कम)		14000- रु. -एआरआई (2.5%)-23000	13000- रु. -एआरआई (2.5%)-21400	12000- रु. -एआरआई (2.5%)-19700	11000- रु. -एआरआई (2.5%)-18100	10000- रु. -एआरआई (2.5%)-16400	20%

IV **(10 करोड़ रु. से कम)**		12000- रु. -एआरआई (2%)- 17900	11000- रु. -एआरआई (2%)- 16400	10000- रु. - एआरआई (2%)- 15900	9000- रु. - एआरआई (2%)-13400	8000- रु. -एआरआई (2%)-11900	20%

टिप्पणी: 'एआरआई' का अभिप्राय वार्षिक वेतन वृद्धि की दर है।

सारणी – II
समाचार एर्जेसी प्रतिष्ठान

ख. गैर पत्रकार (प्रशासनिक कर्मी)

समाचार एर्जेसी प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<— कर्मचारी-समूह के लिए वेतनमान —>							परिवर्ति वेतन (मूल वेतन का %)
	1 क	1	2	3	4	5	6	
I (60 करोड़ रु. और अधिक)	<----- कोई वेतनमान नहीं----->	17500- रु. -एआरआई (4%)- 38400	15000- रु. -एआरआई (4%)- 32900	13000- रु. -एआरआई (4%)- 28500	12000- रु. -एआरआई (4%)-26300	10000- रु. -एआरआई (4%)- 22000	9000- रु. -एआरआई (4%)- 19800	35%
II (30 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 60 करोड़ रु. से कम)		16000- रु. -एआरआई (4%)- 35100	14000- रु. -एआरआई (4%)- 30700	12000- रु. -एआरआई (4%)- 26300	11000- रु. -एआरआई (4%)-24100	9000- रु. -एआरआई (4%)- 19800	8500- रु. -एआरआई (4%)- 18700	35%
III (10 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 30 करोड़ रु. से कम)		11000- रु. -एआरआई (2.5%)- 18100	10000- रु. -एआरआई (2.5%)- 16400	9000- रु. -एआरआई (2.5%)- 14800	8500- रु. -एआरआई (2.5%)- 14000	7500- रु. -एआरआई (2.5%)- 12300	7000- रु. -एआरआई (2.5%)- 11500	30%

IV (10 करोड़ रु. से कम)		10000- रु. -एआरआई (2.5%)- 16400	9000- रु. - एआरआई (2.5%)- 14800	8500- रु. -एआरआई (2.5%)- 14000	8000- रु. - एआरआई (2.5%)- 13200	7000- रु. -एआरआई (2.5%)-11500	**30%**

टिप्पणी: 'एआरआई' का अभिप्राय वार्षिक वेतन वृद्धि की दर है।

सारणी- III

महंगाई भत्ता की गणना के लिए सूत्र :-

महंगाई भत्ता की गणना के लिए सूत्र है। अखिल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए (आधार 2001=100) पहले के 12 महीनों में औसत बढ़ोतरी के आधार पर अखिल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए (आधार 2001=100) 167 पर वर्ष 1 जुलाई, 2009 से 1 जनवरी, 2010 के लिए द्विवार्षिक आधार पर देय है और प्रत्येक वर्ष एक जुलाई और एक जनवरी को प्रभावी होता है जो कि निष्प्रभावीकरण की दर और मूल वेतन के द्वारा गुणा कर दिया जाएगा। गणितीय रुप में इसे निम्नवत लिखा जा सकता है:

अखिल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक -औद्योगिक कर्मचारी
(प्रश्नगत पहले के 12 महीने)
माइनस
अखिल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कर्मचारी

(जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

महंगाई भत्ता =-- ------------------------------------ X निष्प्रभावीकरण की दर (1.0) X मूल वेतन

अखिल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक -औद्योगिक कर्मचारी

(जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

सारणी – IV

शहरों का वर्गीकरण

		क्षेत्र – "X"			
क्र.सं.	शहर		क्र.सं.	शहर	
1	बंगलूरु	(यूए)	7	अहमदाबाद	(यूए)
2	चेन्नई	(यूए)	8	कानपुर	(यूए)
3	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा का क्षेत्र	(यूए)	9	लखनऊ	(यूए)
4	हैदराबाद / सिकन्दराबाद	(यूए)	10	नागपुर	(यूए)
5	ग्रेटर मुंबई / नवी मुंबई	(यूए)			
6	कोलकाता	(यूए)			

क्षेत्र – "Y"					
1	आगरा	(यूए)	18	गुवाहाटी	(यूए)
2	अजमेर	(यूए)	19	गुंटूर	(यूए)
3	अलीगढ़	(यूए)	20	ग्वालियर	(यूए)
4	इलाहाबाद	(यूए)	21	इंदौर	(यूए)
5	अमरावती	(यूए)	22	हुबली-धारवाड़	(यूए)
6	अमृतसर	(यूए)	23	जबलपुर	(यूए)
7	औरंगाबाद	(यूए)	24	जयपुर	(यूए)
8	बरेली	(यूए)	25	जालंधर	(यूए)
9	भावनगर	(यूए)	26	जमशेदपुर	(यूए)

10	बीकानेर	(यूए)	27	जोधपुर	(यूए)
11	भोपाल	(यूए)	28	कोची	(यूए)
12	भुवनेश्वर	(यूए)	29	कोल्हापुर	(यूए)
13	चंडीगढ़	(यूए)	30	कोझीकोड	(यूए)
14	कोयम्बटूर	(यूए)	31	कोटा	(यूए)
15	कटक	(यूए)	32	लुधियाना	(यूए)
16	दुर्गापुर	(यूए)	33	मदुरई	(यूए)
17	गोरखपुर	(यूए)	34	मेरठ	(यूए)
18	मुरादाबाद	(यूए)	53	नागपुर	(यूए)
19	मैसूर	(यूए)	54	पुडुचेरी	(यूए)
20	नासिक	(यूए)	55	सेलम	(यूए)
21	पुणे	(यूए)	56	तिरुपुर	(यूए)
22	पटना	(यूए)	57	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
23	रायपुर	(यूए)	58	आसनसोल	(यूए)
24	राजकोट	(यूए)	59	बेलगांव	(यूए)
25	रांची	(यूए)	60	भिवंडी	(यूए)
26	सोलापुर	(यूए)	61	धनबाद	(यूए)
27	श्रीनगर	(यूए)	62	देहरादून	(यूए)
28	सूरत	(यूए)	63	दुर्ग-भिलाई	(यूए)
29	तिरुवनंतपुरम	(यूए)	64	जम्मू	(यूए)
30	वडोदरा	(यूए)	65	जालंधर	(यूए)
31	वाराणसी	(यूए)	66	जालंधर छावनी	(यूए)
32	विजयवाड़ा	(यूए)	67	जामनगर	(यूए)
33	विशाखापटनम	(यूए)	68	कानपुर	(यूए)
34	वारंगलं	(यूए)	69	दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)
35	मंगलोर	(यूए)			

क्षेत्र "जैड" के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आएंगे जो सूची में नहीं दर्शाए गए हैं

टिप्पणी: यूए का अर्थ है शहरी समूह।

[फा. सं. वी-24032/1/2011-डब्ल्यूबी]

टी. के. बासु, उप-महानिदेशक